सत्यमेव जयते

भारत सरकार

Government of India

वित्त मंत्रालय

Ministry of Finance

वित्त मंत्रालय के संबंध में वित्त संबंधी स्थायी समिति (16वीं लोक सभा) की 46वीं रिपोर्ट (2017-18) में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली द्वारा लोक सभा में दिया जाने वाला वक्तव्य (आर्थिक कार्य विभाग, व्यय, वित्तीय सेवाएं एवं दीपम)

STATEMENT BY SHRI ARUN JAITLEY, MINISTER OF FINANCE, IN THE LOK SABHA REGARDING THE STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS OF 46TH REPORT OF THE STANDING COMMITTEE ON FINANCE (2017-18), (16TH LOK SABHA) RELATING TO MINISTRY OF FINANCE (DEPARTMENTS OF ECONOMIC AFFAIRS, EXPENDITURE, FINANCIAL SERVICES AND DIPAM)

अगस्त, 2017

August, 2017

अनुक्रमणिका		INDEX	
क्रम संख्या **विषय-सूची**	**पृष्ठ संख्या**	**Sl No.** **Contents**	**Page No.**
1. श्री अरुण जेटली, वित्त मंत्री द्वारा वक्तव्य	i-ii	1. Statement by Shri Arun Jaitley, Minister of Finance	i-ii
2. अनुबंध - दिनांक 17 मार्च, 2017 को लोक सभा में रखी गई/राज्य सभा में प्रस्तुत वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग, व्यय, वित्तीय सेवाएं एवं दीपम) की **2017-18 की अनुदान मांगों के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति की 46वीं रिपोर्ट** में सन्निहित सिफारिशों/ टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट।	1-38	2. Annexure- Action Taken Report on the Recommendations/Observations contained in the **46th Report of the Standing Committee on Finance on Demands for Grants 2017-18** of the Ministry of Finance (Departments of Economic Affairs, Expenditure, Financial Services and DIPAM) presented to the Lok Sabha/laid in the Rajya Sabha on 17th March, 2017.	39-81

वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य, व्यय, वित्तीय सेवाएं एवं दीपम) संबंधी अनुदान की मांगों (2017-18) के संबंध में वित्त संबंधी स्थायी समिति (16वीं लोक सभा) की 46वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली द्वारा लोक सभा में दिया जाने वाला वक्तव्य

मैं, लोक सभा बुलेटिन, भाग-II दिनांक 01 सितंबर, 2004 के जरिए माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के निर्देश 73-ए के अनुसरण में वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग, व्यय, वित्तीय सेवाएं एवं दीपम विभाग) विषयक **वित्त संबंधी स्थायी समिति (16वीं लोक सभा) की 46वीं रिपोर्ट** में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में बयान देना अपना सौभाग्य मानता हूं।

वित्त संबंधी स्थायी समिति (16वीं लोक सभा) की 46वीं रिपोर्ट **17 मार्च, 2017** को लोक सभा में प्रस्तुत की गई। 46वीं रिपोर्ट वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग, व्यय, वित्तीय सेवाएं एवं दीपम विभाग) की अनुदान मांगों (2017-18) की जांच से संबंधित है। इस रिपोर्ट में समिति ने कई मुद्दों पर विचार-विमर्श और 12 सिफारिशें की हैं जो मुख्यतः बजटीय आबंटन-मांगवार बजटीय अनुसूची में परिवर्तन, बीमा स्कीमों में निधियों का कम उपयोग, ''बचत'' की बजाय ''अव्ययित शेष'',

STATEMENT BY SHRI ARUN JAITLEY, MINISTER OF FINANCE, IN THE LOK SABHA REGARDING THE STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS CONTAINED IN THE 46th REPORT OF THE STANDING COMMITTEE ON FINANCE (16TH LOK SABHA) ON DEMANDS FOR GRANTS (2017-18) RELATING TO THE MINISTRY OF FINANCE (DEPARTMENTS OF ECONOMIC AFFAIRS, EXPENDITURE, FINANCIAL SERVICES & DIPAM)

I deem it my privilege to make a statement on the status of implementation of recommendations contained in the **46th Report of the Standing Committee on Finance (16th Lok Sabha)** relating to Ministry of Finance (Departments of Economic Affairs, Expenditure, Financial Services and DIPAM) in pursuance of Direction 73-A of the Hon'ble Speaker, Lok Sabha vide Lok Sabha Bulletin, Part II dated 1st September 2004.

The 46th **Report** of the Standing Committee on Finance (16th Lok Sabha) relating to examination of Demands for Grants (2017-18) of Ministry of Finance (Departments of Economic Affairs, Expenditure, Financial Services and DIPAM) was **Presented** to the Lok Sabha on **17th March, 2017.** In its Report, the Committee deliberated on various issues and made twelve (12) recommendations which mainly pertain to Budgetary Allocation - Demand

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सरकारी क्षेत्र के बैंक, पुनः पूंजीकरण, सीडी अनुपात आदि; अर्थव्यवस्था का डिजीटलीकरण,उप-कर, व्यापार सेवा मूल्य सूचकांक, एम्स और यूएमपीपी एवं विनिवेश संबंधी बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन से संबंधित है।

Wise, changes in Budgetary Schedule, Under-Utilization of Funds in the Insurance Schemes, "Unspent Balances" instead of "Savings", Regional Rural Banks (RRBs), Public Sector Banks - Re-Capitalisation, CD ratio etc., Digitalization of Economy, Cess, Business Service Price Index, Implementation of Budget Announcements relating to AIIMS and UMPP & Disinvestment.

इस रिपोर्ट में निहित सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में की गई कार्रवाई के विवरण दिनांक **20 जून, 2017** को वित्त संबंधी स्थायी समिति को भेज दिए गए थे। समिति द्वारा 46वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति **अनुबंध** में दी गई है।

Action Taken Statements on the recommendations/observations contained in the Report had been sent to the Standing Committee on Finance on **20th June, 2017.** Present status of implementation of the recommendations made by the Committee in the 46th Report is indicated in **Annexure**.

मैं अनुबंध की विषय-वस्तु पढ़कर सुनाने में सदन का बहुमूल्य समय नहीं लेना चाहूंगा और अनुरोध करूंगा कि इसे पढ़ा हुआ माना जाए।

I would not further like to take the valuable time of the House by reading out the contents of the Annexure and request that this may please be taken as read.

वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग, व्यय, वित्तीय सेवाएं एवं दीपम) की अनुदान मांगों (2017-18) पर वित्त संबंधी स्थायी समिति (16वीं लोक सभा) की 46वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों / टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण।

क्र.सं.	सिफारिश सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत	अभ्युक्तियां (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6
1.	01	समस्त सरकार के लिए वित्त मंत्रालय बजट निर्माण और बजटीय आबंटन के लिए नोडल मंत्रालय/अभिकरण है। लेकिन, समिति यह नोट करके आचर्यचकित है कि बजट आबंटनों में विसंगतियां और बजट अनुमानों तथा वास्तविक व्यय के बीच विशाल अंतराल होता रहा है। मांग सं. 29 (आर्थिक कार्य विभाग) के संबंध में समिति नोट करती है कि 2014-15, 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के बजट अनुमानों में अत्यधिक उतार-चढ़ाव रहा है अर्थात, यह क्रमशः ₹21990.42 करोड़, ₹23576.57 करोड़, ₹20804.09 करोड़ और ₹15,455.84 करोड़ रहा है। मांग सं.31 (वित्तीय सेवाएं विभाग) के लिए 2017-18 के लिए बजट आबंटन ₹19,618.01 करोड़ था जिसमें ₹14,137.51 करोड़ की भारी कमी है। इसी प्रकार, समिति यह भी नोट करती है कि इसी मांग सं. 29 में, 2015-16 में बजट अनुमान और वास्तविक व्यय (ब.अ. ₹23,576.51 करोड़, सं.अ. ₹73668.11 करोड़ और वास्तविक व्यय ₹88,846.16 करोड़) के बीच भारी अंतर रहा है। इस प्रकार, वास्तविक व्यय बजट अनुमान से ₹65,296.59 करोड़ अधिक था। मांग सं. 38 (विनियोजन - ऋण का भुगतान) के अंतर्गत 2016-17 में ब.अ. और सं.अ. के बीच भारी अंतर रहा है जहां 44,06,431.08 के ब.अ. में भारी वृद्धि करके	**<u>(आर्थिक कार्य विभाग)</u>** वर्ष 2016-17 के लिए संशोधित अनुमान चरण पर बजटीय प्रावधान में ₹10,85,437.70 करोड़ तक की तीव्र वृद्धि के मुख्य कारण अर्थ तंत्र से अत्यधिक नकदी हटाने के लिए बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) के अधीन नकदी प्रबंधन हुंडियां (सीएमबीएस) जारी करके जुटाई गई राशि के भुगतान हेतु निधियों की व्यवस्था करना तथा अंतरवर्ती राजकोषीय हुंडियों (आईटीबीएस) का मोचन जहां राज्य सरकारों ने निवेश किया था/ अपनी अधिशेष संचित राशि बड़ी मात्रा में लगाई थी। यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि चूंकि अंतिरिक्त अदायगियां प्राप्तियों से की जानी हैं, अतः कोई अतिरिक्त खर्च नहीं होगा। इसके अलावा, इस विनियोग (ऋण अदायगी) के अधीन अदायगी का अर्थ वह नहीं होगा जैसा कि व्यय के अन्य क्षेत्रों के लिए होता है। **(वित्तीय सेवाएं विभाग)** वित्तीय वर्ष 2016-17 (बजट अनुमान) के लिए वित्तीय सेवाएं विभाग का सकल बजटीय आबंटन ₹33755.52 करोड़ तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 (बजट अनुमान) के लिए बजटीय आबंटन ₹19618.00 करोड़ था। सरकारी क्षेत्र के बैंकों को पूंजी पर्याप्तता के विनियामकीय मानदण्डों का पालन करने में सक्षम बनाने के लिए अनुमोदित इंद्रधनुष योजना के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों का पुनर्पूंजीकरण किया जा रहा है। इंद्रधनुष योजना में, अन्य बातों के साथ-साथ, वर्ष 2015-16 से चार वर्ष की अवधि में बजटीय आबंटन के जरिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों में नीचे उल्लेख किए गए अनुसार कुल ₹70,000 करोड़ की पूंजी का निवेश	स्वीकृत स्वीकृत	

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>सिफारिश सं.</th><th>सिफारिश</th><th>सरकार द्वारा की गई कार्रवाई</th><th>सरकार द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत</th><th>अभ्युक्तियां (यदि कोई हो)</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>₹54,91,868.78 करोड़ कर दिए गया है; यह सं.अ. चरण पर ₹10,85,437.70 करोड़ की विशाल वृद्धि है। असंगत बजट निर्माण और बजट अनुमानों, संशोधित अनुमानों और वास्तविक व्यय के बीच बार-बार होने वाले भारी अंतरालों से, समिति केवल इसी निष्कर्ष पर पहुंचती है कि बजटीय प्रक्रिया यथोचित सावधानीपूर्वक बनायी जाए। समिति एक बार पुनः आग्रह करती है कि मानक नियमों और दिशानिर्देशों को शक्ति से लागू किया जाए और यदि आवयक हो, तो इस प्रयोजनार्थ उद्देश्यपरक मानदंड बनाए जाएं ताकि उसके अनुमानों में विसंगतियों और अंतरों से बचा जा सके और भविष्य में वास्तविक और आवयकता आधारित मांगों को रखा जा सके।</td><td>किए जाने की परिकल्पना की गई हैः
(करोड़ रुपए में)
<table><tr><th>क्रम सं.</th><th>वर्ष</th><th>बजटीय आबंटन</th></tr><tr><td>1</td><td>2015-16</td><td>25,000</td></tr><tr><td>2</td><td>2016-17</td><td>25,000</td></tr><tr><td>3</td><td>2017-18</td><td>10,000</td></tr><tr><td>4</td><td>2018-19</td><td>10,000</td></tr></table>सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए वर्ष 2016-17 के ₹25,000 करोड़ के आबंटन की तुलना में वर्ष 2017-18 के दौरान बजटीय आबंटन ₹10,000 करोड़ है- जो इंद्रधनुष की अनुमोदित योजना (उपर्युक्त तालिका) के अनुसार आरंभिक आवश्यकता पर आधारित है। इस प्रकार, वित्तीय सेवाएं विभाग के बजटीय आबंटन में वर्ष 2017-18 के लिए बजटीय आवश्यकता वर्ष 2016-17 की तुलना में कम है।</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>02</td><td>समिति बजट को निश्चित समय से पूर्व लाने के सरकार के निर्णय से सहमत है ताकि सरकार का वित्तीय कार्य प्रत्येक वर्ष को 31 मार्च से पूर्व पूरा हो जाए और संबंधित मंत्रालय/विभाग/संगठन उनको आबंटित राशि वित्तीय वर्ष के आरंभ से ही अपने निर्धारित नीति/स्कीम/कार्यकलापों आदि के अनुसार खर्च कर सकें। लेकिन, समिति पाती है कि बजट को निर्धारित समय से एक माह पूर्व प्रस्तुत करने से लगभग एक तिमाही के लिए तुलनात्मक आंकड़े नहीं मिल पाते और इस प्रक्रिया में, वास्तविक और वित्तीय लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते और इसलिए, मंत्रालयों/विभागों/अन्य स्कीमों/नीतियों का सही परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। अतः, समिति का मानना है ऐसा करने से पूर्व और ज्यादा तैयारी तथा पर्याप्त आधार पर कार्य किया जाना चाहिए था। ताकि बजट</td><td>सरकार ने विभिन्न प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए मौजूदा तारीख (अप्रैल से मार्च) सहित वित्तीय वर्ष की शुरुआत के लिए विभिन्न तारीखों के गुण-अवगुण की जांच करने हेतु डा. शंकर आचार्य की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। समिति ने दिसम्बर, 2016 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और इस पर सरकार विचार कर रही है।</td><td>स्वीकृत</td><td></td></tr>
</table>

क्र.सं.	सिफारिश सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत	अभ्युक्तियां (यदि कोई हो)
		असावधानीपूर्ण ढग से तैयार किया गया न हो। इसलिए समिति अगले वर्ष से अधिक व्यापक रूप से कार्य होने की उम्मीद करती है। उपर्युक्त बाधाओं के मद्देनजर, समिति यह भी सुझाव देती है कि बजटीय प्रक्रिया के अनुसार, वित्त वर्ष को भी कैलेंडर वर्ष अनुसार बदल दिया जाए और बजट की तिथि इसके अनुसार पहले की जाए।			
3.	03	एपीवाई (अटल पेंशन योजना) के लिए 2016-17 के लिए ₹200 करोड़ के बजट अनुमान के विपरीत ₹29 करोड़ जारी किए गए हैं; प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) में 2014-15 के ₹100.00 करोड़ के सं.अ. के विपरीत एक करोड़ का उपयोग किया गया है; 2015-16 में ₹100.00 करोड़ के बजट अनुमान के विपरीत ₹10.00 करोड़ रुपए और 2016-17 में 100 करोड़ के ब.अ. के विपरीत ₹0.00 करोड़ का उपयोग किया गया है; पीएमजेजेबीवाई (प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना) और पीएमएसबीवाई (प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना में दिसम्बर, 2016 तक निधि का कोई उपयोग नहीं हुआ है; एएबीवाई (आम आदमी बीमा योजना) में भी दिसंबर, 2016 तक 2016-17 के ₹450 करोड़ के बजट का उपयोग नहीं किया गया है; और बीपीबीवाई (वरिष्ठ पेंन बीमा योजना) के मामले में ₹109.32 करोड़ के सं.अ. के विपरीत दिसम्बर, 2016 तक कोई व्यय नहीं किया गया है। उपर्युक्त से, ऐसा प्रतीत होता है कि विभिन्न स्कीमें बिना उचित नियोजन और जांच के ही आरंभ कर दी गई हैं और इसी प्रकार बजटीय आबंटन भी कर दिया गया है जिसके फलस्वरूप आबंटन अप्रयुक्त पड़े हैं और	**(आर्थिक कार्य विभाग)** अनुदान मांगें सिद्धांततः अनुमोदन प्राप्त परियोजनाओं तथा परियोजनाओं के अंतिम अनुमोदन के आधार पर प्रस्तुत की जाती हैं और संवितरण वित्तीय संस्थाओं द्वारा संवितरित ऋण की राशि के आधार पर तथा प्राइवेट डेवलपर द्वारा अपनी हिस्से की संपूर्ण इक्विटी का आंदान किए जाने के बाद निर्माण अवधि के दौरान किए जाते हैं। इसलिए, वास्तविक वीजीएफ की आवयकता का सटीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता। वास्तविक आहरण कार्यान्वयनकारी एजेंसी (राज्य सरकारें/संबंधित केंद्रीय मंत्रालय) द्वारा किया जाता है और उन्होंने संशोधित अनुमान के चरण के समेत समीक्षा के सभी चरणों पर यह पुष्टि की थी कि अनुमानित व्यय समय अनुसार है। अनुदान, जो इक्विटी के खर्च किए जाने के बाद आहरित ऋण के साथ-साथ मिलता है, की प्राप्ति न होने से परियोजना कार्यान्वयन खतरे में पड़ जाता है। इसलिए ऐसे अनुरोधों के संबंध में और कोई विकल्प नहीं सिवाय इसके कि 31 मार्च तक इन्तजार किया जाए। इसलिए, हालांकि बजट अनुमान संबधी आवयकता की तैयारी सुनिचित करने में काफी सावधानी बरती जाती है, यह जरूरी है कि निधियों की कमी के कारण अवसंरचना के निर्माण पर बुरा असर न पड़े। यदि प्रायोजक प्राधिकारियों से विलंबित आहरण की सूचना प्राप्त होती है, तो संशोधित अनुमान के स्तर पर बजट अनुमानों में संशोधन किया जा सकता है। यह भी सूचित किया जाता है कि प्रायोजक प्राधिकारियों से अपेक्षाकृत	आंशिक रूप से स्वीकृत	सिफारिश में उल्लिखित 250 करोड़ रुपए भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि से संबंधित नहीं है। वास्तव में, 250 करोड़ रुपए को व्यवहार्य अंतर निधियन सहायता के जरिए अवसंरचना क्षेत्र में सरकारी

क्र.सं.	सिफारिश सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत	अभ्युक्तियां (यदि कोई हो)
		स्कीमों से वांछित सामाजिक परिणाम नहीं मिल रहे हैं। इस प्रकार, इन शीर्षों के अंतर्गत बजट आबंटनों के परिणामस्वरूप निधियां बेकार पड़ी रहती हैं और योजनाएं वांछित उद्देयों और सामाजिक परिणामों को प्राप्त नहीं कर पाती हैं। अतः समिति संबंधित अधिकारियों से आग्रह करती है कि वे आवश्यकताओं के अनुमान में अधिक सावधानी बरतें और इन योजनाओं, जो मुख्यतः जरूरतमंद लोगों को बहुप्रतीक्षित सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए हैं, के कार्यान्वयन के लिए आबंटित निधियों के उपयोग का प्रयास करें। समिति चाहती है कि उन स्कीमों को इलैक्ट्रोनिक और प्रिंट मीडिया द्वारा नियमित अग्रसक्रिय रूप से जन जागरुकता अभियान द्वारा लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता है। समिति मंत्रालय को यह सुझाव भी देती है कि वह विभिन्न लाभार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक मौजूदा स्कीमों के स्थान पर एक एकल व्यापक सामाजिक सुरक्षा स्कीम लाए और इस प्रकार, संसाधनों के कम वितरण से बचे। इसके अलावा, समिति अजा, अजजा, अन्य सुभेद्य समूहों, महिलाओं, बच्चों आदि के लिए बजट आबंटन के अधिकतम उपयोग के लिए जोर-शोर से कार्यवाही करने की आशा करती है जैसा कि बजट भाषण दस्तावेज (2017-18) में बल दिया गया है।	कम आवयकता की मांग को देखते हुए, इस शीर्ष के तहत अंतिम आवयकता कम करके ₹132.2639 करोड़ कर दी गई थी।		निजी भागीदारी को सहायता देने के लिए अवसंरचना विकास हेतु सहायता के निमित्त अलग रखा गया था।
		समिति इस संबंध में यह भी सिफारिश करती है कि व्यय के अजा एवं अजजा घटक के लिए विशेषकर इस स्तर पर जब योजना और गैर-योजना घटकों का अंतर समाप्त किया जा चुका है, एक पृथक विधान लाया जाए जैसा कि कुछ राज्यों द्वारा किया गया है। आवसंरचनात्मक विकास	**(वित्तीय सेवाएं विभाग)** इस प्रतिवेदन में वर्ष 2016-17 के दौरान वित्तीय सेवाएं विभाग में समग्र रूप से निधियों के कम उपयोग का उल्लेख किया गया है। अटल पेंन योजना के संबंध में वर्ष 2016-17 के लिए बजट अनुमान ₹200.00 करोड़ था, जिनमें पात्र अभिदाताओं के संबंध में सरकार के आंदान के लिए ₹120.00 करोड़, एपीवाई के अंतर्गत नामांकन के लिए बैंकों को	स्वीकृत	

क्र.सं.	सिफारिश सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत	अभ्युक्तियां (यदि कोई हो)
		हेतु व्यावहारिकता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) के संबंध में भी बजट अनुमान/आबंटन के बहुत कम उपयोग की ऐसी ही प्रवृति नोट की गई है। इसके अलावा, भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि और मुख्य धारा से जुड़ी पीपीपी परियोजनाओं की गतिविधियों के लिए 250 करोड़ रुपए की आबंटित राशि की तुलना में वास्तविक व्यय (दिसंबर 2016 तक) केवल 102.27 करोड़ रूपए है । इस प्रकार से उपयोग न करने अथवा कम उपोयग करने से अवसंरचना विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, इसलिए व्यय की विशेष निगरानी की तत्काल आवश्यकता है।	प्रोत्साहन राशि के भुगतान हेतु ₹72.00 करोड़, योजना के मीडिया अभियान के लिए 8.00 करोड़ रुपए शामिल हैं। पीएफआरडीए में बचत राशि उपलब्ध होने के कारण एपीवाई के अंतर्गत सरकार के अंशदान संबंधी बजटीय राशि का पूर्णतः उपयोग नहीं किया गया। एपीवाई में नामांकन की प्रवृत्ति को देखते हुए संशोधित अनुमान 2016-17 में एपीवाई के अंतर्गत नामांकन हेतु बैंकों को प्रोत्साहन राशि संबंधी निधि की आवश्यकता को संशोधित करके ₹32.00 करोड़ कर दिया गया था। मीडिया अभियान के संबंध में केवल ₹4 करोड़ की राशि का उपयोग किया जा सका और पीएफआरडीए को जारी किया जा सका क्योंकि पीएफआरडीए और डीएवीपी के बीच ₹4 करोड़ के शेष बिल के संबंध में समझौता नहीं हो सका। यह विभाग भविष्य में निधि के आवश्यकता के अधिक वास्तविक आकलन सुनिचित करने हेतु पीएफआरडीए के साथ समन्वय कर रहा है। प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई): पीएमजेडीवाई योजना के अंतर्गत ₹30,000 का जीवन कवर 18 से 59 वर्ष के आयु समूह के सदस्य, जिन्होंने 15.08.2014 से 31.01.2015 के बीच पीएमजेडीवाई बैंक खाता खोला हो, को कुछेक शर्तों के अध्यधीन उपलब्ध कराया गया था। योजना के अंतर्गत प्रति पात्र पीएमजेडीवाई खाताधारक के ₹90 के प्रीमियम के अंशदान का वहन पूर्णतः केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। भारतीय जीवन बीमा निगम ने ₹100 करोड़ के आरंभिक कॉर्पस से लाइफ फंड सृजित करने का प्रस्ताव किया है। किसी भी प्रकार की कमी को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा इस निधि में समय-समय पर धनराशि जमा की जाएगी। इस प्रकार, आरंभिक अनुमान के आधार पर संशोधित अनुमान 2014-15 में 100 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध करायी गई थी। अगस्त, 2014 में आरंभ की गई पीएमजेडीवाई योजना में 30,000 रुपए के जीवन बीमा कवर का लाभ अंतर्निहित है, यह योजना अल्प समय में ही काफी लोकप्रिय हो गई है। योजना की बढ़ती लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए यह आशा थी कि पीएमजेडीवाई के अंतर्गत बड़ी संख्या में खाते खुलेंगे और इसके साथ-साथ बड़ी संख्या में दावों की संभावना थी। खातों की संख्या तथा भविष्य के संभावित दावों को ध्यान में रखते हुए एलआईसी द्वारा निपटाए जाने वाले अनुमानित भावी दावों की प्रतिपूर्ति के लिए तथा किसी भी प्रकार की कमी के लिए		

क्र.सं.	सिफारिश सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत	अभ्युक्तियां (यदि कोई हो)
			निधि में धनराशि जमा करने हेतु बजट अनुमान 2015-16 और बजट अनुमान 2016-17 में भारत सरकार द्वारा ₹100-100 करोड़ का प्रावधान किया गया था। निपटाए गए कुल वास्तविक दावों के आधार पर एलआईसी द्वारा वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में संवर्द्धित राशि की मांग की गई थी। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान ₹1 करोड़ तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 और 2016-17 के दौरान ₹10-10 करोड़ की राशि जारी की गयी। विगत तीन वर्षों में एलआईसी द्वारा की गई मांग की पद्धति को ध्यान में रखते हुए वित्तीय वर्ष 2017-18 में ₹10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई): दिनांक 06.05.2015 को हुई अपनी बैठक में केंद्रीय मंत्रिमण्डल ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के संबंध में जागरूकता सृजित करने के लिए बजट उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया। जन-जागरूकता के जरिए इन योजनाओं को लोकप्रिय बनाने के लिए बजट अनुमान 2016-17 में ₹50 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया था। जागरूकता अभियान के प्रयोजन हेतु एलआईसी, सिडबी तथा पीएफआरडीए के संसाधनों का भी उपयोग किया गया ताकि इस संबंध में किए जाने वाले प्रयास की द्विरावृत्ति कम से कम हो। तदनुसार, संशोधित अनुमान 2016-17 में ₹5 करोड़ की राशि उपलब्ध करायी गई थी, जिसे पूर्णतः उपयोग कर लिया गया। वित्तीय वर्ष 2017-18 में बजट अनुमान के अंतर्गत ₹20 करोड़ की राशि निर्धारित की गई है। **आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई):** एलआईसी अपने सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा योजना के प्रति किए गए व्यय की लेखापरीक्षा किए जाने के पश्चात निधि जारी करने की मांग करता है। तत्पश्चात एलआईसी से मांग प्राप्त होने के बाद ही निधि जारी की जाती है। एएबीवाई छात्रवृत्ति निधि के अंतर्गत एलआईसी ने वर्ष 2016-17 के दौरान ₹200 करोड़ जारी करने की मांग की थी। तथापि, योजना के बजटीय प्रावधान को संशोधित अनुमान 2016-17 में कम करके ₹100 करोड़ कर दिया था और यह राशि एलआईसी को जारी कर दी गई थी। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना (वीपीबीवाई) : केंद्रीय बजट 2015 में वरिष्ठ		

क्र.सं.	सिफारिश सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत	अभ्युक्तियां (यदि कोई हो)
			पेंशन बीमा योजना के द्वारा उपलब्ध कराई गई जीवन बीमा सेवा को 1 अप्रैल, 2015 से सेवा कर से छूट दी गई थी। तथापि, 14 अगस्त, 2014 (वीपीबीवाई को आरंभ करने की तारीख) से 31 मार्च, 2015 तक एलआईसी ने योजना के अंतर्गत पॉलिसी अभिदाता अंशदान के संबंध में सेवाकर का संग्रहण किया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि एलआईसी अभिदाताओं से एकत्रित सेवाकर वापिस करेगा और वे सनदी लेखाकार (सीए फर्म)/लेखापरीक्षक से एक प्रमाणपत्र प्राप्त करके, जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि राशि योजना के अभिदाताओं को वापिस कर दी गई है, प्रतिपूर्ति हेतु अपनी मांग प्रस्तुत करेगा। तदनुसार एलआईसी ने अपेक्षित सीए प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जिसमें यह उल्लेख किया गया कि अभिदाताओं से एकत्रित ₹109,32,26,720.00 एलआईसी ने उन्हें दिनांक 20.02.2017 के अपने पत्र के द्वारा वापिस कर दिये हैं। यह वीपीबीवाई के अभिदाताओं के लिए सेवाकर की एकबारगी प्रतिपूर्ति है, अतः संशोधित अनुमान 2016-17 में ₹109.32 करोड़ की राशि की मांग कर दी गई थी और तदनुसार एलआईसी को बजटीय प्रावधान जारी किया गया। समिति की इन सिफारिशों के संबंध में कि मंत्रालय एक एकल व्यापक सामाजिक सुरक्षा योजना की संभावना की तलाश करेगा, यह प्रस्तुत किया गया कि विभिन्न योजनाओं की आवश्यकताएं जोखिम कवरेज के अनुसार अलग अलग हैं। विभिन्न जोखिम प्रोफाइलों को एक साथ मिलाने की तुलना में एक ही प्रकार के जोखिम प्रोफाईल के लिए कम प्रीमियम की आवयकता होती है।		
4.	04	समिति यह भी नोट करती है कि अनुदानों की मांगों के दस्तावेज में, वित्त मंत्रालय ने प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में अप्रयुक्त आबंटनों को "बचत" का नाम दिया गया है जो भ्रामक है क्योंकि इस प्रकार अप्रयुक्त आबंटन वास्तव में कोई 'बचतें' नहीं हैं बल्कि 'अव्ययित' अथवा 'अप्रयुक्त' निधियां है जिन्हें भविष्य में वित्तीय	उक्त सिफारिश की जांच की बाद यह देखा गया कि अनुदान मांगों में अथवा ब्यौरेवार अनुदान मांगों में अथवा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में 'बचत' का कोई संकेत नहीं है। आमतौर पर, बचतों का ऐसा ब्यौरा बजट दस्तावेजों के भाग के रूप में प्रकाशित नहीं किया जाता है। सीजीए के कार्यालय द्वारा संकलित मंत्रालय/विभाग के विनियोग लेखा में, 'बचतें' अथवा 'अतिरिक्त व्यय' संसद द्वारा प्राधिकृत कुल विनियोग	स्वीकृत	

क्र.सं.	सिफारिश सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत	अभ्युक्तियां (यदि कोई हो)
		दस्तावेज में इन्हीं रूपों में दर्शाया जाना चाहिए। अपेक्षित उद्देश्य के लिए निधियां उपयोग किए जाने के पश्चात् जो बचता है उसे अव्ययितशेष से अलग करते हुए वास्तव में "बचत" के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए जो बजटीय उद्देयों की प्राप्ति न होने से संबंधित है।	और मंत्रालय द्वारा खर्च की गई राशि की तुलना करने के बाद प्रकाशित किया जाता है। अनुदान संख्या 22 - रक्षा पेंशन और अनुदान संख्या 34 - आर्थिक कार्य विभाग, दोनों की एक-एक प्रति संदर्भ के लिए संलग्न है (अनुबंध-I)।		
5	05	2014-15 में आरआरबी के लिए बजटीय आबंटन ₹50.00 करोड़ था जो वर्षांत में अव्ययित था। 2016-17 में ₹140.00 करोड़ के आबंटन को सं.अ. चरण में ₹5.50 करोड़ कर दिया गया। तथापि, 2016 तक केवल ₹2.60 करोड़ का ही व्यय हो पाया है। जिस प्रकार से आरआरबी के बजट आबंटन अव्ययित हैं अथवा उनका अल्प-उपयोग हुआ है, समिति को संदेह है कि आरआरबी, जिनका गठन मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में और लघु सीमांत किसानों, कृषि मजदूरों, दस्तकारों और उद्यमियों को ऋण और संबंधित सुविधाएं प्रदान करने के लिए किया गया था, को गंभीरता से नहीं लिया गया है। अतः समिति सिफारिश करती है कि आरआरबी की हालत में सुधार के लिए सरकार तुरंत कदम उठाए और उन्हें पर्याप्त प्रोत्साहन देकर बैंकिंग की मुख्य धारा में लाने के लिए ध्यान केन्द्रित करें। चूंकि वित्तीय समावेशन/ग्रामीण ऋण प्रदायगी के लिए आरआरबी मुख्य साधनों में से एक हैं, अतः, विशेषतः ग्रामीण सुदूर क्षेत्रों में उपलब्ध ऋण के अभाव को देखते हुए, उन्हें पर्याप्त पूंजी के साथ मजबूत किए जाने की आवश्यकता है।	सरकार ने आरआरबी को सुदृढ़ तथा आर्थिक रूप से व्यवहार्य एवं संपोषणीय संस्था बनाने के लिए कई कदम उठाये हैं जैसे : **(क) आरआरबी का समेकन** किसी राज्य में एक ही बैंक द्वारा प्रायोजित आरआरबी के समेकन के लिए आरआरबी के संरचनात्मक एकीकरण की पहल सरकार द्वारा वर्ष 2005-06 में की गई थी । इस प्रक्रिया को वर्ष 2009-10 में पूरा किया गया। आरआरबी की संख्या को 196 से कम करके 82 कर दिया गया। अतिरिक्त व्यय को न्यूनतम करने तथा आरआरबी में प्रौद्योगिकी का इष्टतम प्रयोग करने के लिए भोगोलिक रूप से सटे हुए आरआरबी, जिन्हें राज्य में अलग अलग बैंकों द्वारा प्रायोजित किया गया, के समेकन की प्रक्रिया वर्ष 2011-12 में आरंभ की गई थी। 12 राज्यों में 44 आरआरबी को 18 संस्थाओं में समेकित किया गया। इस प्रकार आरआरबी की संख्या को 82 से कम करके 56 कर दिया गया। **(ख) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 में संशोधन :** ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवा का विस्तार करने में आरआरबी की बढ़ती भूमिका को ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 में कुछेक संशोधन किया है। इस संबंध में प्रादेशिक ग्रामीण बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2015 को 13 मई, 2015 को अधिसूचित किया गया, जिसमें अन्य मदों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैः (i) आरआरबी की प्राधिकृत पूंजी को ₹5 करोड़ से बढ़ाकर ₹2000 करोड़ करना। (ii) इस शर्त के अध्यधीन कि किसी भी परिस्थिति में केंद्र सरकार तथा प्रायोजक बैंक की शेयरधारिता 51 प्रतिात से कम नहीं होगी, आरआरबी	स्वीकृत	

क्र.सं.	सिफारिश सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत	अभ्युक्तियां (यदि कोई हो)
			द्वारा बाजार से पूंजी एकत्र करना। (iii) ₹1 करोड़ न्यनूतम निर्गत पूंजी के रूप में उपलब्ध कराकर प्रत्येक आरआरबी द्वारा निर्गत पूंजी के संबंध में ₹1 करोड़ की सीमा में संशोधन करना। **(ग) आरआरबी (अधिकारी तथा कर्मचारी नियुक्ति) नियमावली, 2017** आरआरबी ने भर्ती प्रक्रिया को अधिक कठोर एवं पारदर्शी तथा सरकार की नीति के अनुरूप बनाने जहां कहीं प्रयोज्य हो, को ध्यान में रखते हुए सरकार नाबार्ड तथा प्रायोजक बैंक के परामर्श से आरआरबी ने भर्ती प्रक्रिया में कुछेक संशोधन लाया गया है। इस संबंध में, आरआरबी (अधिकारी तथा कर्मचारी नियुक्ति एवं पदोन्नति) नियमावली, 2010 के स्थान पर 29 मार्च, 2017 को आरआरबी (अधिकारी तथा कर्मचारी नियुक्ति) नियमावली, 2017 अधिसूचित किया गया है। **(घ) आरआरबी की सांविधिक लेखापरीक्षा के संबंध में दिशानिर्देशों :** प्रणाली को अधिक व्यावहारिक, निष्पक्ष तथा पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने आरआरबी के लेखापरीक्षकों की नियुक्ति संबंधी दिशानिर्देशों को संशोधित किया है। **(ड.)आरआरबी का पुनर्पूंजीकरण:** आरआरबी के पुनर्पूंजीकरण की योजना वर्ष 2010-11 में आरंभ की गई थी। वर्ष 2016-17 तक ऐसे आरआरबी, जिनका सीआरएआर 9 प्रतिशत से नीचे था, को ₹1107.20 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई।		
6	06	बढ़ते एनपीए, दबावग्रस्त आस्तियों, विशाल प्रावधान और लाभप्रदता की पृष्ठभूमि में, समिति पाती है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अच्छी वित्तीय हालत में नहीं है। विमौद्रीकरण के पचात् जमाओं में हाल ही में आए उछाल के साथ ही समिति उद्योग, विशेषतः एमएसएमई के लिए ज्यादा ऋण की आाा करती है। समिति को पीएसबी के सीडी	**<u>अनुशंसा 6 और 7 के संबंध में की गई कार्रवाई</u>** सरकारी क्षेत्र के बैंकों में सुधार लाने के लिए 7 बिन्दुओं यथा नियुक्तियां, बैंक बोर्ड ब्यूरो का गठन, पूंजीकरण, पीएसबी को दबावमुक्त करना, सशक्तिकरण, जवाबदेही अवसंरचना तथा अभिशासन सुधार को शामिल करते हुए दिनांक 14.08.2015 को 'इंद्रधनुष' नामक योजना का शुभारंभ किया गया था। सरकार द्वारा किए गए उपाय निम्नानुसार हैं:- सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के लिए पूंजीकरण योजना	स्वीकृत	

क्र.सं.	सिफारिश सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत	अभ्युक्तियां (यदि कोई हो)
		अनुपात जो विशेषकर पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र में कम है, में सुधार होने, उनके ज्यादा निष्पक्ष होने और देश के विभिन्न क्षेत्रों में समान रूप से फैलने की भी आशा है। ₹10,000 करोड़ के बजट आबंटनों तथा विमुद्रीकरण के कारण जमाओं के माध्यम से पीएसबी में नवीन पूंजी प्रवाह को अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को ऋण में वृद्धि के लिए भली-भांति उपयोग किया जाना चाहिए।	भारत सरकार ने चार वर्षों के लिए बजटीय आबंटन में से ₹70,000 करोड़ प्रदान करने का प्रस्ताव किया है जो निम्नानुसार है: (i) वित्तीय वर्ष 2015-16 - 25,000 करोड़ रुपए (ii) वित्तीय वर्ष 2016-17 - 25,000 करोड़ रुपए (iii) वित्तीय वर्ष 2017-18 - 10,000 करोड़ रुपए (iv) वित्तीय वर्ष 2018-19 - 10,000 करोड़ रुपए **कुल - 70,000 करोड़ रुपए** सरकार ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान 19 पीएसबी में ₹25000 करोड़ की राशि लगाई थी। इसके अलावा, वर्ष 2016-17 में 16 पीएसबी में ₹24,99719 करोड़ की राशि लगाई गई है ताकि पूंजी पर्याप्तता संबंधी बासेल-III नियमों का अनुपालन करने में उन्हें सक्षम बनाया जा सके। वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए पीएसबी के पुनर्पूंजीकरण हेतु ₹10,000 करोड़ की पूंजी का प्रस्ताव किया गया है। **पीएसबी को दबावमुक्त करना** विगत दशकों के दौरान पीएसबी निधियन के प्रमुख प्राप्तकर्ता अवसंरचना क्षेत्र तथा मूल (कोर) क्षेत्र था। लेकिन कई कारणों से अधिक मात्रा में परियोजनाएं अवरुद्ध/दबावग्रस्त हो गया था जिससे बैंकों पर एनपीए का दबाव पड़ गया।		
7	07	दी जा रही निधियों के लिए जवाबदेही लागू करना भी सरकार के लिए आवश्यक है। सरकार के वित्तीय संसाधनों पर दबाव को देखते हुए, उसके लिए इन बैंकों में आवधिक रूप से पूंजी संचार करना कठिन होगा। अतः, यह आवश्यक है कि सरकार दक्षता को पुरस्कृत करते हुए, इस संबंध में कतिपय न्यूनतम निष्पादन मानक लागू करे। चूंकि पीएसबी वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए संसाधनों	इसको ध्यान में रखते हुए, सरकार के द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:- **जोखिम नियंत्रण उपाय को सुदृढ़ बनाना तथा एनपीए का प्रकटन** एनपीए मामलों का समाधान करने के लिए डीआरटी तथा सरफासी तंत्र के तहत किए जाने वाले वसूली प्रयासों के अलावा निम्नलिखित अतिरिक्त उपाय भी किए गए हैं:- i "**वित्तीय दबावग्रस्तता की समय पर पहचान, समाधान हेतु तुरंत उपाय तथा उधारदाताओं के लिए उचित वसूली: अर्थव्यवस्था के दबावग्रस्त आस्तियों के पुनरुज्जीवन हेतु अवसंरचना'' के लिए दबावग्रस्त**	स्वीकृत	

क्र.सं.	सिफारिश सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत	अभ्युक्तियां (यदि कोई हो)
		का बड़ा हिस्सा है, अतः भारतीय अर्थव्यवस्था को सार्वजनिक क्षेत्र में एक मजबूत और जीवंत बैंकिंग प्रणाली की आवश्यकता है। चूंकि विभिन्न पुनर्संरचनात्मक योजनाओं के बावजूद एनपीए/ तनावग्रस्त आस्तियों के बढ़ने से हम ऋण वृद्धि को अभी तक के सबसे कम स्तर पर पाते हैं। अतः सरकार को बैंकिंग क्षेत्र में जोश और आत्मविश्वास भरना चाहिए ताकि लाभप्रदता और विवेकी निवेश को ध्यान में रखते हुए विधिक निर्णयों के मामले में भी अनुशासनात्मक कार्यवाही के बिना तर्कपूर्ण निर्णय लिए जा सकें। अतः यह आवयक हो गया है कि बैंकरों का मनोबल बनाए रखा जाए ताकि ऋण वृद्धि बढ़ सके।	**आस्तियों की शीघ्र पहचान एवं समाधान करने के लिए कई उपायों का सुझाव करते हुए 30 जनवरी, 2014 को आरबीआई ने दिशानिर्देशों को जारी कर दिया है:** • बड़े ऋणों के संबंध में केन्द्रीय सूचना रिपोजिटरी (सीआरआईएलसी) का गठन, जिसके तहत उप-आस्ति श्रेणी, यथा विशेष उल्लेख खाता (एसएमए) का सृजन करते हुए ऋण खातों का एनपीए बनने से पहले रिपोर्ट करना अपेक्षित है। • संयुक्त उधारदाता समिति (जेएलएफ) का सृजन, सुधारात्मक कार्य योजना (सीएपी) तथा आस्तियों की बिक्रीः संघीय उधार के मामले में जैसे ही सीआरआईएलसी को किसी खाते का एसएमए-2 के रूप में रिपोर्ट किया जाता है, उधारदाताओं को एक संयोजक के तहत संयुक्त उधारदाता समिति नामक उधारदाता समिति का सृजन करना चाहिए और खाते के दबाव का समय पर समाधान करने के लिए संयुक्त सुधारात्मक कार्य योजना तैयार करना चाहिए। ii. **अवसंरचना तथा कोर उद्योगों को दीर्घावधि परियोजना ऋणों की लचीली संरचना - आरबीआई ने 15 जुलाई, 2014 तथा 15 दिसम्बर, 2014 को दिशानिर्देश जारी किया है:** ' अवसंरचना के लिए दीर्घावधि वित्तपोषण, इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र की बड़ी भागीदारी को प्रोत्साहित करने में मुख्य बाधा रहा है। आस्ति के मामलों में, संभावित प्रतिकूल आकस्मिकताओं का समाधान करने के लिए लचीली संरचना के साथ अवसंरचना क्षेत्र को दीर्घावधि ऋण जारी करने के लिए बैंकों को प्रोत्साहित किया जाएगा (5/25 संरचना भी कहा जाता है)। iii. **इरादतन चूक/असहयोगी उधारकर्ताः** आरबीआई ने उधारकर्ताओं की असहयोगी उधारकर्ता नामक नई श्रेणी का सृजन किया है। असहयोगी उधारकर्ता वह है जो बैंक को अपने वित्त के संबंध में कोई सूचना प्रदान नहीं करता हो। यदि बैंक ऐसे उधारकर्ता को नया ऋण जारी करते हैं तो उन्हें उच्च प्रावधान करना होगा। iv. **छः नए ऋण वसूली अधिकरण की स्थापना** सरकार ने बैंकिंग क्षेत्र के अशोध्य ऋणों की वसूली को बढ़ावा देने के लिए छः नए ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) (चण्डीगढ़, बेंगलूर,		

क्र.सं.	सिफारिश सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत	अभ्युक्तियां (यदि कोई हो)
			एर्णाकुलम, देहरादून, हैदराबाद, सिलीगुड़ी) की स्थापना की है। v. **शोधन अक्षमता एवं दिवालियापन संहिता, 2016 को 28 मई, 2016 को भारत सरकार द्वारा अधिनियमित किया गया था।** **सशक्तिकरण** बैंकों को संस्था के वाणिज्यिक हितों को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया है और उपभोक्ताओं के साथ-साथ कर्मचारी की जवाबदेही सुनिचित करने के लिए शिकायत निवारण तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए कहा गया है। **जवाबदेही संबंधी संरचना** सरकार ने नकदी प्रोत्साहन के योग्य होने के लिए अगस्त 2015 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए महत्वपूर्ण कार्यनिष्पादन संकेतक (केपीआई) का गठन किया है। ये सभी मूलतः परिचालन और पूंजीगत दक्षता और पूंजी उपयोग, व्यापार प्रक्रियाओं की विविधता और एनपीए प्रबंधन आदि से संबंधित हैं। केपीआई के अंतर्गत कार्यनिष्पादन मूल्यांकन मैट्रिक्स में मूल्यांकन के लिए परिणाम संबंधी पैरामीटर और गुणात्मक पैरामीटर शामिल है। वर्ष 2016-17 के अतिरिक्त कार्यक्षमता के मामले को ध्यान में रखते हुए, सार्वजनिक क्षेत्र के 13 बैंकों को ₹22,915 करोड़ की पूंजी आबंटित की गई थी जिसमें से 75% (आईओबी के लिए 50%) अर्थात ₹16414 करोड़ का निवेश किया गया और निश्चित मानदण्डों पर बैंकों के कार्यनिष्पादन के आधार पर शेष 25% राशि का निवेश किया जाना था। बैंकों की रूपांतरण प्रक्रिया को जाहिर करते हुए समझौता ज्ञापन (एमओयू) के आधार पर 10 बैंकों को 8580 करोड़ रुपए और यूनियन बैंक को 541 करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे। **वहनीय ऋण एमसीएलआर** भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए अग्रिमों पर ब्याज दर को		

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>सिफारिश सं.</th><th>सिफारिश</th><th>सरकार द्वारा की गई कार्रवाई</th><th>सरकार द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत</th><th>अभ्युक्तियां (यदि कोई हो)</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
नियंत्रण मुक्त कर दिया है और इसको समय-समय पर आरबीआई द्वारा जारी अग्रिमों पर लगाए जाने वाली ब्याज दर पर विनियामकीय दिशानिर्देशों के अधीन उनके निदेशक मण्डल के अनुमोदन से बैंकों द्वारा निर्धारित किया गया है।
01 अप्रैल, 2016 से, बैंक निधियों की सीमांत लागत के आधार पर अग्रिमों पर ब्याज दरों का परिकलन करेंगे जिसके लिए उधार दर पर आधारित निधियों की सीमांत लागत आंतरिक मानदण्ड होगा।
<u>ब्याज सहायता योजना</u>
'लदान-पूर्व और लदानोत्तर रुपया निर्यात ऋण' पर ब्याज समीकरण योजना को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रतिपादित किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने परिचालन कार्यवाही तैयार की है जिसका इस योजना के अंतर्गत सरकार से प्रतिपूर्ति दावे के लिए बैंकों द्वारा अनुकरण किया जाना है।
<u>ऋण वृद्धि पर विमुद्रीकरण और चालू खाता, बचत खाता (सीएएसए) वृद्धि प्रभाव</u>
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में सीएएसए जमाओं में वृद्धि और सकल अग्रिमों में वृद्धि और प्रणाली स्तर पर वृद्धि नीचे तालिकाबद्ध की गई है:-
<table>
<tr><th rowspan="2">बैंक समूह</th><th colspan="5">सीएएसए जमाओं में वृद्धि (%)</th><th colspan="5">सकल अग्रिमों में वृद्धि (%)</th></tr>
<tr><th>वित्तीय वर्ष 16</th><th>वि. व. 17 की प्र. छ.</th><th>अक्तूबर-16</th><th>नवंबर-16</th><th>दिसंबर-16</th><th>वित्तीय वर्ष 16</th><th>वि. व. 17 की प्र. छ.</th><th>अक्तूबर-16</th><th>नवंबर-16</th><th>दिसंबर-16</th></tr>
<tr><td>पीएसबी</td><td>9.20</td><td>1.94</td><td>-2.24</td><td>19.90</td><td>3.17</td><td>3.71</td><td>-1.88</td><td>-1.85</td><td>-2.78</td><td>3.88</td></tr>
<tr><td>सभी बैंक</td><td>11.83</td><td>2.61</td><td>-2.87</td><td>18.10</td><td>3.30</td><td>8.11</td><td>0.13</td><td>-1.39</td><td>-2.50</td><td>3.41</td></tr>
</table>

यह पाया गया है कि सीएएसए जमाओं में नवम्बर 16 के दौरान महत्वपूर्ण वृद्धि हुई और यह वृद्धि वित्तीय वर्ष 2017 के मध्य और यहां तक कि वित्तीय वर्ष 16 की तुलना में भी बहुत अधिक थी। तथापि, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और बैंकिंग प्रणाली के लिए सकल अग्रिमों में अक्तूबर 16 और नवम्बर 16 के दौरान कमी दर्ज की गई थी।
जबकि जमाओं में महत्वपूर्ण वृद्धि विमुद्रीकरण अभियान के कारण हो सकती है, ऋण में कमी व्यवस्था जोखिम के पोर्टफोलियों के असंतुलन के कारण हो सकती है।

</td><td></td><td></td></tr>
</table>

क्र.सं.	सिफारिश सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत	अभ्युक्तियां (यदि कोई हो)
			<u>सीडी अनुपात - मांग/पूर्ति पर निर्भरता</u> ऋण जमा (सीडी) अनुपात के संक्षिप्त ब्यौरा के प्रति को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा अनुपालन किया गया है और सामान्यतः सभी अनुसूचित वाणिज्यिक को निम्नानुसार प्रदान किया गया है:-		

बैंक समूह (राशि करोड़ रुपए में)	सकल ऋण और अग्रिम (जीएलए)			कुल जमा (टीडी)			सीडी अनुपात (टीडी की % के रूप में जीएलए)		
	मार्च-16	सितंबर-16	दिसंबर-16	मार्च-16	सितंबर-16	दिसंबर-16	मार्च-16	सितंबर-16	दिसंबर-16
पीएसबी	58,23,907	57,14,271	56,64,443	74,86,178	76,48,013	81,48,249	77.80	74.72	69.52
सभी बैंक	81,73,121	81,83,658	81,36,919	1,00,92,651	1,04,85,392	1,10,21,063	80.98	78.05	73.83

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी लगाने और विमुद्रीकरण जमाओं में बढ़ोतरी के अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को समय-समय पर ऋण की उपलब्धता की सुविधा देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को दिशानिर्देशों/अनुदेश जारी किए हैं। इन सभी उपायों के बाद पूर्व और दक्षिण पूर्व क्षेत्र के राज्यों सहित अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऋण की उपलब्धता में वृद्धि की उम्मीद की गई है। ऋण जमा के संदर्भ में, भारतीय रिजर्व बैंक ने पीएसबी सहित बैंकों को सम्पूर्ण भारत के आधार पर उनकी ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं में अलग से 60% ऋण जमा अनुपात प्राप्त करने का सुझाव दिया है। बैंकों को यह भी सुनिचित करना है कि विभिन्न राज्य/क्षेत्र के बीच अनुपातों में असमानता से बचा जाए ताकि ऋण अभिनियोजनों में क्षेत्रीय असमानता को कम किया जा सके। आरबीआई ने बैंकों को यह भी सुझाव दिया है कि सीडी अनुपातों को विभिन्न स्तरों पर, अर्थात बैंक के प्रधान कार्यालय के स्तर पर, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) और जिला परामर्शदात्री समिति (डीसीसी) द्वारा निगरानी की जाएगी। सीडी अनुपात की निगरानी करने और सीडी अनुपात को बढ़ाने के लिए निगरानी योग्य कार्रवाई योजना (एमएपी) बनाने के क्रम में 40 से कम सीडी अनुपात रखने वाले जिलों में डीसीसी का विशेष उप समिति (एसएससी) का गठन किया जाना है।

क्र.सं.	सिफारिश सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत	अभ्युक्तियां (यदि कोई हो)
8	08	समिति बजट भाषण 2017-18 में दिए गए इस वक्तव्य को नोट करती है कि डिजीटल अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन से ''व्यवस्था को सुधारने और भ्रष्टाचार तथा कालेधन को समाप्त करने में सहायता मिलेगी। अर्थव्यवस्था के वृहत्तर औपचारीकरण और वित्तीय बचतों को बैंकिंग प्रणाली में लाने के रूप में इसका परिवर्तनकारी प्रभाव है। डिजीटल भुगतान में जाने के आम आदमी को बहुत फायदे हैंष। समिति यह भी नोट करती है कि अर्थव्यवस्था के डिजीटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने विभिन्न पहलें और एप आरंभ किए हैं यथा 'जेएएम ट्रिनिटी' (जनधन-आधार-मोबाइल) भीम (भारत इंटरफेस फार मनी एप) आदि। लेकिन समिति चाहती है कि सरकार को देश में बढ़ते साइबर अपराधों का गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए ताकि उन्हें फैलने से पहले ही रोका जा सके और इस मोर्चे पर डिजीटलीकरण की प्रक्रिया जड़ न हो जाए। समिति को यह भी संदेह है कि बढ़ते हुए डिजिटलीकरण के साथ साइबर अपराधों में वृद्धि न हो जाए। इस संबंध में, सरकार को वित्तीय रियायतें, सस्ती और तीव्र गति इंटरनेट कनेक्टिविटी आदि देकर डिजीटल माध्यम से सौदे की प्रक्रियाओं को आम आदमी के लिए आकर्षक बनाकर पर्याप्त रूप से प्रोत्साहन देना चाहिए और उन्हें आसान बनाया जाना चाहिए। एक मजबूत और स्थिर डिजीटल अवसंरचना, अंतिम सिरे तक उच्च गति और स्थिर डाटा कनेक्टिविटी और डाटा सुरक्षा के बिना डिजीटल भुगतान प्रणालियां प्रगति नहीं कर सकती। इसके अलावा, इल्ट्रॉनिक भुगतान को बेहतर ढंग से	**<u>(वित्तीय सेवाएं विभाग)</u>** स्थायी समिति द्वारा फ्लैग की गई चिंताओं के समाधान के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:- (i) साइबर सुरक्षा के मामले के समाधान के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अपने दिनांक 02.06.2016 के परिपत्र द्वारा सभी बैंकों के लिए साइबर सुरक्षा अवसंरचना जारी किया है। इसके अलावा, आरबीआई ने सभी अधिकृत संस्थाओं तथा बैंकों को 09 सितम्बर, 2016 को साइबर सुरक्षा के संबंध में पूर्व-भुगतान लिखतें जारी करने के अनुदेश जारी किए हैं। (ii) केन्द्रीय बजट 2017-18 के अभिभाषण में वित्तीय क्षेत्र (सीईआरटी-फिन) के लिए एक कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल की स्थापना के लिए एक घोषणा की है जो सभी वित्तीय क्षेत्र नियामकों और अन्य हितधारकों के साथ निकट समन्वय से काम करेगा। सरकार ने सीईआरटी-फिन की स्थापना के उपायों का अध्ययन और अनुशंसा करने के लिए एक कार्यदल की स्थापना की है। (iii) भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने वर्चुअल भुगतान पता या बैंक खाता संख्या और भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड (आईएफएससी) या मोबाइल नंबर या मोबाइल मनी आइडेन्टीफायर या त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड या आधार संख्या का उपयोग करके सुरक्षित रूप से धन हस्तांतरण करने के लिए ग्राहकों को सक्षम बनाने हेतु एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) की शुरुआत की है। (iv) एनपीसीआई ने मोबाइल बैंकिंग के लिए "*99#" हेतु असंरचित अनुपूरक सेवा डेटा (यूएसएसडी) की शुरुआत भी की है। यह एक अंतर्परिचालनीय भुगतान प्लेटफार्म है जो पूरे देश में 12 भिन्न भाषाओं में खाताधारकों को बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है। यूएसएसडी इंटरनेट कनेक्टिविटी के बिना, स्मार्ट फोन और फीचर फोन, दोनों पर काम करता है।	स्वीकृत	भारत सरकार की 13.02.2017 की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार डिजिटल लेन-देन / डिजिटल भुगतान के विषयों को इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को आवंटित किया गया है।

क्र.सं.	सिफारिश सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत	अभ्युक्तियां (यदि कोई हो)
		अपनाए जाने के लिए, डिजीटल भुगतान नकद सौदे से ज्यादा महंगा न हो। अतः, प्रौद्योगिकीय नवोन्मेष, वृहत्तर परिमाण और कम नकद व्यवहार से होने वाली बचतों को साझा करके सौदों की लागत कम करने पर ध्यान केन्द्रित करना होगा। इस प्रकार मौजूदा अत्यल्प स्तर से रातोंरात अथवा किसी आदेश से मोटे तौर पर नकदीरहित अथवा कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था प्राप्त नहीं की जा सकती। इसके लिए विचार में बड़ा परिवर्तन लाना होगा और इसके लिए वित्तीय साक्षरता, विशेषतः ग्रामीण लोगों में समय की मांग है। अतः समिति का मानना है कि यदि सरकार अच्छे उद्देश्य प्राप्त करना चाहती है तो उसका ध्यान कम लागत वाली और वृहत्तर आधार वाली डिजीटल अवसंरचना, सौदों की लागतों में कमी और बड़े पैमाने पर वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने पर केन्द्रित होना चाहिए।	(v) एनपीसीआई ने भीम (बीएचआईएम) आधार शुरु किया है, जो आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) का इस्तेमाल करते हुए व्यापारियों को आधार आधारित भुगतान के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन है। इससे ग्राहक अपने बैंक खाते से जुड़े आधार नंबर का उपयोग करके खरीदारी कर सकते हैं। लेनदेन के लिए प्रमाणीकरण हेतु केवल ग्राहक के फिंगर प्रिंट की आवश्यकता होती है। वर्तमान में, इसमें 30 से अधिक बैंक भाग ले रहे हैं और 17 बैंक भीम आधार पर उपलब्ध हैं। (vi) सरकार ने नकदी रहित लेनदेन के साधनों को बढ़ावा देने के लिए व्यापारियों के लिए लक्की ग्राहक योजना और डिजिधन व्यापार योजना की शुरुआत की है। यह योजना विशेष रूप से गरीबों, कम मध्यम वर्ग और छोटे व्यवसायों को डिजिटल लेनदेन प्लेटफार्म पर लाने पर केन्द्रित है। (vii) भीम एप के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने दो नई योजनाएं, व्यक्तियों के लिए रेफरल बोनस योजना और व्यापारियों के लिए नकद भुगतान योजना शुरु की है। (viii) अंतर्परिचालनीय बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक मित्र तैनात किए गए हैं। (ix) बैंक स्वैच्छिक ग्राहक सहमति के आधार पर बैंक खाते खोलने, बैंक खातों में आधार संख्या और मोबाइल नंबर दर्ज करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, रूपे कार्ड के उपयोग को बढ़ावा देते हैं तथा वित्तीय साक्षरता प्रदान करते हैं। इसके माध्यम से खाताधारकों को आधार-सक्षम, मोबाइल-आधारित और कार्ड-आधारित भुगतान विकल्प तक पहुंचने के लिए सक्षम किया गया है। (x) बैंकों ने दिनांक 30.11.2016 से दिनांक 24.04.2017 तक 18.61 लाख अतिरिक्त व्यापारिक स्वीकृति प्वाइंट जोड़े हैं, ताकि कार्ड स्वीकृति अवसंरचना का विस्तार किया जा सके और डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा दिया जा सके।		

क्र.सं.	सिफारिश सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत	अभ्युक्तियां (यदि कोई हो)
			(xi) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने टियर-5 और टियर-6 केन्द्रों के गांवों में आधार संबद्ध प्वाइंट आफ सेल (पीओएस) टर्मिनलों की तैनाती के लिए वित्तीय समावेशन निधि से बैंकों को सहायता प्रदान की है। नाबार्ड द्वारा 2.23 लाख पीओएस टर्मिनलों के लिए सहायता स्वीकृत की गई है। (xii) नाबार्ड ने किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) को अंतर्परिचालनीय रूपे केसीसी में परिवर्तित करने के लिए बैंकों को वित्तीय समावेशन निधि से मदद की है, जिससे किसानों को पीओएस मशीनों, माइक्रो एटीएम और एटीएम पर डिजिटल लेनदेन करने में सक्षम बनाया जा सके। (xiii) महालेखा नियंत्रक कार्यालय ने केन्द्र सरकार के अधीन विभागों/ मंत्रालयों को सूचित किया है कि सरकार को डेबिट कार्डों पर 01 लाख तक का मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) प्रभार सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। (xiv) सार्वजनिक उद्यम विभाग ने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि लेनदेन शुल्क, डिजिटल माध्यमों के जरिए भुगतान से जुड़े एमडीआर प्रभार उपभोक्ताओं पर नहीं डाले जाएंगे और ये सभी खर्च सीपीएसई द्वारा वहन किए जाएंगे। (xv) केन्द्र सरकार ने दिनांक 08.12.2016 की प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से देश में डिजिटल और कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए उपायों एवं प्रोत्साहन पैकेजों की घोषणा की जिसमें निम्नलिखित शामिल है:- (क) केन्द्र सरकार के पेट्रोलियम उपक्रमों ने पेट्रोल/डीजल की खरीद पर उपभोक्ताओं को, यदि वे डिजिटल माध्यम से भुगतान करते हैं, बिक्री के 0.75% की दर से डिस्काउंट की पेशकश की है।		

क्र.सं.	सिफारिश सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत	अभ्युक्तियां (यदि कोई हो)
			(ख) रेलवे अपने उप-शहरी रेलवे नेटवर्क के माध्यम से 01 जनवरी, 2017 से मासिक या मौसमी टिकट के लिए ग्राहकों को 0.5% तक डिस्काउंट के जरिए प्रोत्साहन प्रदान करेगी, अगर डिजिटल माध्यम से भुगतान किया जाता है। (ग) ऑनलाइन टिकट खरीदने वाले रेलवे यात्रियों को 10 लाख रुपए तक का निःशुल्क आकस्मिक बीमा कवर दिया जाता है। (घ) सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियां सामान्य बीमा पालिसियों में प्रीमियम के 10% तक की छूट और ग्राहक पोर्टल के माध्यम से बेचे जाने के मामले में डिजिटल माध्यम से भुगतान के जरिए जीवन बीमा निगम की नई जीवन पालिसियों में 8% तक छूट प्रदान करती हैं। (xvi) बैंकों में शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंकों के स्तर पर अधिकतम संख्या में शिकायतें हल हो गई हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने मई 2015 में सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को सूचित करते हुए 35 बैंकों को सलाह दी है कि आंतरिक लोकपाल (आईओ) नियुक्त करने के लिए निजी और विदेशी बैंकों का चयन करें। आईओ, बैंकों की आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र द्वारा हल नहीं की गई शिकायतों की जांच करता है। (xvii) आरबीआई ने 01 जुलाई, 2016 के अपने परिपत्र के द्वारा भारत में पूर्व-भुगतान लिखतों (पीपीआई) की तरह के ई-वॉलेट्स को जारी करने एवं उसके परिचालन पर नीतिगत दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंकों द्वारा जारी किए गए पीपीआई के मामले में, ग्राहकों को शिकायत निवारण के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना से मदद प्राप्त होगी। गैर-बैंकिंग पीपीआई जारीकर्ता ग्राहकों की शिकायतों		

क्र.सं.	सिफारिश सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत	अभ्युक्तियां (यदि कोई हो)
			के निपटान के लिए प्रभावी तंत्र लागू करें जिसमें उच्च स्तरीय संरचना शामिल हो एवं ग्राहकों के लाभ के लिए इसका प्रचार-प्रसार हो। (xviii) दिनांक 16.04.2017 की स्थिति के अनुसार, कनेक्टिविटी से संबंधित मामलों के समाधान के लिए, 18,297 ग्राम पंचायतों को एकीकृत किया गया और भारतनेट पर परीक्षण किया गया है। (xix) वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के बुनियादी जागरुकता प्रदान करने के लिए समय-समय पर आयोजित विभिन्न शिविरों में वित्तीय साक्षरता काउंटरों के आयोजन के जरिए बैंकों ने अपनी जिम्मेदारी के भाग के रूप में वित्तीय साक्षरता प्रदान करने के लिए कई रणनीतियों को अपनाया है। उन्होंने ग्रामीण और अर्ध-शहरी आबादी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पंचायत, ग्राम सभाओं में बैठकों के माध्यम से वित्तीय साक्षरता प्रदान की है। उन्होंने वित्तीय साक्षरता केन्द्रों के माध्यम से भी वित्तीय साक्षरता प्रदान की है। (xx) दिनांक 31.08.2016 की स्थिति के अनुसार, 9197 कौशल केन्द्रों में वित्तीय साक्षरता सत्र आयोजित किए गए, जिसमें 7.07 लाख छात्रों को वित्तीय साक्षरता प्रदान की गई है। 34,012 विद्यालयों को भी कवर किया गया और जिसमें 31.17 लाख विद्यार्थियों ने भाग लिया। वित्तीय साक्षरता से संबंधित सामग्री को 10 क्षेत्रीय भाषाओं में अनूदित कर दिया गया है और यह वेबसाइट पर उपलब्ध है। **<u>(आर्थिक कार्य विभाग)</u>** लेन-देनों का डिजिटीकरण भारत के लिए बहुत जरूरी है; इससे आर्थिक रूप से साधनहीन वर्ग, मध्य वर्ग, कारोबारी वर्ग और सरकार को लाभ होगा। डिजिटीकरण से अधिक पारदर्शिता के जरिए, लेन-देनों को पता	स्वीकृत	

क्र.सं.	सिफारिश सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत	अभ्युक्तियां (यदि कोई हो)
			लगा सकने का सामर्थ्य, कानून लागू करने की क्षमता और सामाजिक कल्याण के लिए बढ़े हुए कर राजस्व के जरिए पूंजी के बेहतर उपयोग से अनेकानेक लाभ सृजित होंगे। डिजिटल भुगतानों से वित्तीय समावेशन में तेजी लाने, नये व्यावसायिक मॉडल एवं बाजार खोलने के अलावा, कर संबंधी हेराफेरी पर काबू पाने में सरकार की क्षमता बेहतर होगी और कर संबंधी लागतें कम होंगी। सरकार ने 2017-18 के केंद्रीय बजट में डिजिटल भुगतान अर्थतंत्र को बढ़ावा देने के लिए अनेक उपाय किए हैं। डिजिटल भुगतानों से संबंधित मुख्य बजट घोषणाएं अनुबंध-II में सूचीबद्ध हैं। सरकार ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई), अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंटरी सर्विस डाटा (यूएसएसडी), आधार पे, इमीडिएट पेमेंट सर्विस (आईएमपीएस) और डेबिट कार्डों के जरिए वित्त वर्ष के दौरान 2,500 करोड़ डिजिटल भुगतान लेन-देन के लक्ष्य वाला मिशन स्थापित किया है। **कार्डों और डिजिटल साधनों के जरिए भुगतान का संवर्धन :** - वित्त मंत्री ने 2015-16 के बजट भाषण में ऐसे अनेक उपाय जिनसे क्रेडिट अथवा डेबिट कार्ड लेनदेनों को बढ़ावा मिले और नकद लेनदेन हतोत्साहित किए जाएं' शुरू करने की घोषणा की थी। फरवरी, 2016 में मंत्रिमंडल ने 19 अल्पावधि उपायों (एक वर्ष के दौरान कार्यान्वित किए जाने वाले) और 4 मध्यावधि उपायों (दो वर्षों के दौरान कार्यान्वित किए जाने वाले) को अनुमोदित किया। तदनुसार, मंत्रिमंडल सचिवालय ने कार्डों और डिजिटल साधनों के जरिए भुगतान के संवर्धन के संबंध में मंत्रिमंडल के निर्णय के कार्यान्वयन हेतु सचिव, दीपम की अध्यक्षता में एक कार्यबल गठित किया था। इस कार्यबल ने मई, 2016 में 19 अल्पावधिक उपायों के संबंध में अपनी अंतिम रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी थी जिनमें विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी के साथ-साथ नीतिगत उपाय और सांकेतिक समयक्रम भी निर्धारित किया गया है।		

क्र.सं.	सिफारिश सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत	अभ्युक्तियां (यदि कोई हो)
			आर्थिक कार्य विभाग ने पूर्व वित्त सचिव और नीति आयोग के प्रधान सलाहकार श्री आर पी वातल की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी जो डिजिटल भुगतान अर्थतंत्र को मजबूत बनाने के लिए मध्यावधिक उपायों का सुझाव देगी। इस समिति ने दिसम्बर, 2016 में 13 सिफारिशें की थीं जो 3 समूहों अर्थात विधायी, कार्यकारी और विनियामक वर्गों में वर्गीकृत हैं। ये कार्यकलाप विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संस्थाओं द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे हैं। नीति आयोग ने 30 नवंबर, 2016 को मुख्यमंत्रियों की एक समिति का गठन किया, जिसके संयोजक आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडु थे। इस समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट माननीय प्रधानमंत्री को 24 जनवरी, 2017 को प्रस्तुत की। समिति ने, अन्य बातों के साथ-साथ, उपभोक्ताओं और व्यापारियों के लिए डिजिटल व्यय पर नकदी वापसी, डिजिटल साधनों से सरकारी संदाय पर छूट, बैंकिंग कार्मिक को प्रोत्साहन और छोटे व्यापारियों के लिए डिजिटल संव्यवहार करने पर विभिन्न प्रोत्साहन देने की सिफारिश की। इस सिफारिश की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, नीति आयोग ने 'डिजिटल भुगतान, रूझान, मुद्दे और चुनौती', शीर्षक से एक पुस्तिका तैयार की है। यह पुस्तिका डिजिटल भुगतान की प्रवृत्ति, प्रस्तावित वर्गीकरण और संकेतकों पर अंतरिम रिपोर्ट है। इसमें अधिकृत सेवा प्रदाताओं की सूची एवं देश के डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम में व्याप्त चुनौतियों से संबंधित उपयोगी सूचना का वर्णन है। **<u>संदाय और निपटान प्रणाली (पीएसएस) अधिनियम, 2007 की समीक्षाः</u>** वित्त मंत्री जी ने 2017 के अपने बजट भाषण में यह घोषणा की कि "सरकार संदाय और भुगतान प्रणाली (पीएसएस) अधिनियम, 2007 की व्यापक समीक्षा करेगी और इसमें समुचित संशोधन करेगी।"		

क्र.सं.	सिफारिश सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत	अभ्युक्तियां (यदि कोई हो)
			तदनुसार, डीएफएस, डीओएलए, डीईए, एमईआईटीवाई, आरबीआई और डीईए के अधिकारियों का एक समूह संदाय और भुगतान प्रणाली अधिनियम, 2007 की समीक्षा करने के लिए गठित किया गया जो अधिनियम में समुचित संशोधन का सुझाव देगा। अधिकारी समूह ने अब तक 5 बैठकें की हैं और अंतिम रिपोर्ट शीघ्र आने की संभावना है। **ग्रामीण भारत के लिए डिजिटल वित्त साधन : जागरूकता और सुलभता** नवम्बर, 2016 में डिजिटल साक्षरता अभियान (दिशा) योजना के तहत 'ग्रामीण भारत के लिए डिजिटल वित्त साधन : जागरूकता और सुलभता के जरिए साझे सेवा केंद्र'' (सीएससी) नामक एक नया घटक अनुमोदित किया गया था जिसका उद्देश्य ग्रामीण नागरिकों के लिए उपलब्ध डिजिटल वित्त साधन संबंधी विकल्पों पर जागरूकता सत्र आयोजित करना था तथा आधार समर्थित पेमेंट तंत्र (एईपीएस), अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंटरी सर्विस डाटा (यूएसएसडी), यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई), इमीडिएट पेमेंट सर्विस (आईएमपीएस), ई-वॉलेट, प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) जैसे डिजिटल वित्तीय सेवाओं के विभिन्न तंत्रों को सक्षम बनाना था। इस कार्यक्रम के तहत, देशभर में एक करोड़ ग्रामीण नागरिक और 2.5 लाख व्यापारियों को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान तंत्र के जरिए लेन-देन करने में समर्थ बनाया जाना था। यह कार्य सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित किया गया। • इस कार्यक्रम के तहत इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम पर कुल 2 करोड़ ग्रामीण नागरिक पंजीकृत और प्रशिक्षित किए गए। • इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम मोड पर 25 लाख से अधिक दुकानदारों/हॉकरों/व्यापारियों आदि को प्रशिक्षित किया गया तथा सक्षम बनाया गया। • 650 जिलों और 5735 ब्लॉकों में संवेदीकरण अभियान आयोजित किए गए।		

क्र.सं.	सिफारिश सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत	अभ्युक्तियां (यदि कोई हो)
			• http://www.digitaljagriti.in/ पर एक पृथक पोर्टल बनाया गया। हैंडबुक और प्रेजेंटेशन के रूप में प्रशिक्षण सामग्री तैयार की गई। • एक इम्पैक्ट मूवी और 6 प्रशिक्षण वीडियो भी उपलब्ध कराए गए। **प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा)** सरकार ने 31.03.2019 तक 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों (प्रति परिवार एक व्यक्ति) को शामिल करते हुए ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता लाने के लिए 'प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा) नामक एक योजना को मंजूरी दी है। यह केंद्रीय बजट 2016-17 में की गई घोषणा के अनुरूप है। समान भौगोलिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 2,50,000 ग्राम पंचायतों में से प्रत्येक से यह उम्मीद की जाएगी कि वे औसतन 200-300 अभ्यर्थियों को पंजीकृत करें। उपर्युक्त योजना में विशेष बल इलेक्ट्रॉनिक भुगतान तंत्र के प्रयोग के संबंध में लाभार्थियों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण पर दिया जाएगा। परिणाम के आकलन के मापदंड में प्रत्येक लाभार्थी द्वारा कम से कम 5 इलेक्ट्रॉनिक भुगतान लेनदेन करना शामिल होगा जो यूपीआई (भीम एप सहित), यूएसएसडी, पीओएस, एईपीएस, कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग के जरिए किया गया हो। उपर्युक्त योजना का कुल परिव्यय ₹2,351 करोड़ है। इसका कार्यान्वयन इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा केंद्रीय क्षेत्रीय की स्कीम के रूप में सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड नामक कार्यान्वयन एजेंसी के जरिए किया जाएगा जिसमें सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का सक्रिय सहयोग रहेगा। यह योजना 20.02.2017 को अनुमोदित की गई और विस्तृत दिशानिर्देश 27.02.2017 को जारी किए गए। दिशानिर्देशों में प्रधान सचिव, आईटी और जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में क्रमशः दो राज्य स्तरीय समितियों के संरचना और विचारार्थ विषय शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना		

क्र.सं.	सिफारिश सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत	अभ्युक्तियां (यदि कोई हो)
			प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने राज्यों के सभी मुख्य सचिवों और सभी जिला मजिस्ट्रेटों/क्लेक्टरों को 28.02.2017 को पत्र लिखा है और योजना के दिशानिर्देश अग्रेषित किए हैं। कार्यान्वयन एजेंसी नामतः सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड ने राज्य स्तर की 31 कार्यशालाएं और जिला स्तर की 81 कार्यशालाएं आयोजित की हैं। उन्होंने पीएमजी दिशा योजना के लिए प्रशिक्षण भागीदार/केंद्रों का पैनल बनाना शुरू कर दिया है और अब तक 23,682 प्रशिक्षण केंद्रों को संबद्ध किया है। 11 लाख से अधिक अभ्यर्थियों का नामांकन किया गया है जिनमें से 9 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। **साइबर सुरक्षा संबंधी पहलें** इलैक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्यिगिकी मंत्रालय ने डिजीटल भुगतान की सुरक्षा पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए डिजीटल भुगतान प्रभाग की स्थापना की है। कम्प्यूटर आपदा मोचन दल (सीईआरटी-इन) बैकिंग और एटीएम प्रणाली को लक्ष्यगत खतरों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और भुगतान कार्ड उद्योग संगठनों को नियमित रूप से सलाह भेजता है। इसके अतिरिक्त, सीईआरटीइन ने प्रयोकताओं के रक्षोपायों के लिए पेंमेट प्रणाली, कार्ड, डाटा, डिवाइस, ब्राउसर, और आपरेंटिग प्रणाली और नेटवर्क सुरक्षा के व्यापारियों को पीओएस, माइक्रो एटीएम, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट, आनलाइन बैकिंग, स्मार्टफोन, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, वायरलेस एक्सेस पांइट/राऊटर, मोबाइल बैकिंग, कार्ड और क्लाउड के संबंध 23 परामर्श जारी किए हैं। डिजीटल भुगतान सेवा प्रदान करने वाले सभी संगठनों को सीईआरटीइन को साइबर सुरक्षा संबंधी घटनाओं की सूचना अविलंब देना अनिवार्य बना दिया गया है।		

क्र.सं.	सिफारिश सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत	अभ्युक्तियां (यदि कोई हो)
			भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने दिनांक 9.2.2016 के परिपत्र ''सुरक्षा और जोखिम न्यूनीकरण उपाय- प्रीपेड इस्ट्रूमेंट निर्गमकर्ता की तकनीकी लेखा परीक्षा के जरिए देश में पीपीआई जारी करने वाली सभी प्राधिकृत्त संस्थाओं/बैंकों को प्राथमिकता आधार पर सीईआरटी-इन के पैनल में शामिल लेखा परीक्षकों द्वारा विशेष लेखा परीक्षा करवाने का और लेखा परीक्षा परिणामों को पालन करने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने जून 2016 में एक परिपत्र भी जारी किया था जिसमें बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचे पर विस्तृत दिशानिर्देश शामिल किए गए। डिजीटल भुगतान की सुरक्षा के संबंध में बैंकों, इंटरनेट सेवा प्रदाताओं और प्रीपेड भुगतान लिखतों की सेवा देने वाले संस्थानों से आए प्रतिभागियों के लिए दो कार्यशालाएं संचालित की गईं। सीईआरटी-इन ने दूरदर्शन डीटीएच के एक मुफ्त चैनल, डिजीशाला जागरूकता अभियान, साइबर सुरक्षा जागरूकता सत्र आयोजित किए है ताकि नागरिकों को जानकारी दी जा सके और इंटरनेट के उपयोगकर्ताओं के बीच जागरूकता पैदा की जा सके ताकि वे आनलाइन धोखाधडी में ना फंसे। बैंकों, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड (सेबी) के लिए बैकिंग प्रौद्योगिकी में विकास और अनुसंधान संस्थान के साथ मिलकर साइबर सुरक्षा पर नियमित कार्यशाला संचालित की गईं। सीईआरटी-इन के कर्मचारियों को आईडीआरबीटी में प्रशिक्षक के रूप पर तैनात किया गया। बैकिंग प्रौद्योगिकी प्रदाताओं और परामर्शदाताओं सहित पीपीआई, बैंकों, आईएसपी, आरबीआई, एनपीसीआई और आईडीआरबीटी के साथ सुरक्षा मुद्दों और उन्हें कम करने के तंत्र का समाधान करने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की गई। भारत में संकटग्रस्त प्रणालियों के पता लगाने के लिए सीईआरटी-इन द्वारा बॉटनेट क्लीनिंग एंड मालवेयर एनालिसिस सेंटर की स्थापना की गई है और मैलवेयर संक्रमण को आगे बढ़ने से रोकने के लिए यह इसकी		

क्र.सं.	सिफारिश सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत	अभ्युक्तियां (यदि कोई हो)
			सूचना देगा, अंतिम प्रयोगकर्ताओं के सिस्टमों की साफ-सफाई एवं सुरक्षा करेगा। यह केन्द्र 37 बैंकों के साथ भी कार्य कर रहा है ताकि उनके नेटवर्क में मैलवेयर संक्रमण का पता लगाया जा सके और उपचारात्मक कार्रवाई की जा सके। इलैक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अधीन प्रीपेड लिखतों की सुरक्षा के संबंध में मसौदा नियमावली तैयार की है। इस मसौदा नियमावली में इलैक्ट्रॉनिक प्रीपेड लिखतों के लिए शिकायत निवारण तंत्र की व्यवस्था है। यह मसौदा नियमावली लोगों और सभी हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए इलैक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की वैबसाइट पर प्रकाशित की गई है। वित्तीय सीईआरटी स्थापित करने के लिए प्रमुख संगठनों और बैकों के साथ नियमित परामर्श आयोजित किए जाते हैं। साइबर सुरक्षा खतरों की निगरानी, रोकथाम और स्थिति से उबरने में वित्तीय क्षेत्र के संगठनों की भूमिका और दायित्वों पर विचार करने के लिए वित्तीय क्षेत्र से प्रमुख संगठनों और बैंकों के साथ पहले ही बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। साइबर हमलों और साइबर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए इलैक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा तैयार की गई साइबर संकट प्रबंधन योजना (सीसीएमपी) को कार्यन्वित करने की सूचना सभी केन्द्र सरकारी मंत्रालयों/विभागों, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और महत्वपूर्ण क्षेत्र संगठनों को भेज दी गई है। सीईआरटी-इन द्वारा सरकार में तथा वित्तीय क्षेत्रों सहित अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संगठनों के साइबर सुरक्षा संबंधी रवैये और तैयारी के आंकलन के लिए साइबर सुरक्षा कवायद की जा रही है।		

क्र.सं.	सिफारिश सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत	अभ्युक्तियां (यदि कोई हो)
9	09	समिति वित्त मंत्रालय (आर्थिक मामले, व्यय, वित्तीय सेवाएं और निवेश तथा सार्वजनिक आस्ति प्रबंधन विभाग) की अनुदानों की मांगों (2016-17) संबंधी अपने 29वें प्रतिवेदन का संदर्भ लेती है जिसमें उसने टिप्पणी की थी कि "एक उपकर का औचित्य यह है कि इससे मिलने वाली राशि का उपयोग केवल निर्धारित उद्देश्य के लिए ही किया जा सकता है, जिससे सिद्धांततः यह एक प्रभावी नीतिगत साधन बन जाता है। लेकिन, यदि इस धन का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता अथवा उसका विपथन किया जाता है तो इससे अर्थव्यवस्था में केवल गतिरोध और विरुपण ही आता है क्योंकि अतिरिक्त कर से वास्तविक आय में कमी आती है और इससे सामाजिक-आर्थिक संकेतकों में कोई यथा लक्षित लाभ भी नहीं होताष। इस टिप्पणी के आलोक में, समिति चाहती है कि सरकार अधिरोपित किए जा रहे विभिन्न उपकरों के संबंध में कड़ी वित्तीय विवेकशीलता और अनुशासन से कार्य करे। किसी भी स्थिति में, समिति को आशा है कि प्रस्तावित जीएसटी व्यवस्था में ये उपकर समाविष्ट होंगे।	1 जुलाई, 2017 से वस्तु और सेवा कर के तहत निम्नलिखित कर लगाया जाना जारी रहेगाः क) आयातित वस्तुओं पर शिक्षा उपकर ख) आयातित वस्तुओं पर माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षा उपकर ग) कच्चे पेट्रोलियम तेल पर उपकर घ) मोटर स्पिरिट पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (सड़क उपकर) ङ) हाई स्पीड डीजल तेल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (सड़क उपकर) च) मोटर स्पिरिट पर उत्पाद शुल्क का विशेष अतिरिक्त शुल्क छ) तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाद तथा कच्चे पेट्रोलियम तेल पर एनसीसीडी उपर्युक्त को छोड़कर अन्य पर उपकर हटा दिया गया है। 7 जून, 2017 के पीआईबी में वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में इसका ब्यौरा दिया गया है।	स्वीकृत	
10.	10	समिति का मत है कि खुदरा मुद्रास्फीति के जिन आंकड़ों का सहारा लिया जा रहा है वे कम बताए गए हो सकते हैं क्योंकि इनमें सेवा क्षेत्र मुद्रास्फीति को पूरी तरह शामिल नहीं किया गया है। इस संबंध में यह धातव्य है कि आरबीआई ने अपने मौद्रिक नीति निर्धारण में थोक मूल्यों के स्थान पर	डीआईपीपी में प्रो. सी.पी. चन्द्र शेखर की अध्यक्षता में व्यावसायिक सेवा मूल्य सूचकांक विकास विषयक एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार कार्यालय, डीआईपीपी ने प्रायोगिक व्यावसायिक सेवा मूल्य सूचियों के विकास का कार्य आरंभ कर दिया है। दस सेक्टर नामतः (i) बैंकिक, (ii) व्यापार (iii) व्यावसायिक सेवाएं (iv) डाक, (v) दूरसंचार, (vi) हवाई यातायात (vii) पत्तन सेवाएं	अभी तक, पांच क्षेत्रों के लिए प्रायोगिक सेवा मूल्य सूचियों से विकसित किया गया है जैसे, रेल परिवहन, बैंकिग, डाक सेवा, दूरसंचार (सेलुलर) और	

क्र.सं.	सिफारिश सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत	अभ्युक्तियां (यदि कोई हो)
		उपभोक्ता मूल्यों पर ध्यान केन्द्रित केवल इसलिए नहीं किया है कि वे वास्तविक स्थिति दर्शाते हैं बल्कि इसलिए भी किया है कि थोक मूल्य सूचकांक में सेवाएं शामिल नहीं होती हैं। लेकिन, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) में भी अन्य चीजों के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, परिवहन आदि की बढ़ती लागतें पूर्णरूपेण परिलक्षित नहीं होती हैं। समिति का मानना है कि व्यय की मदें यथा चिकित्सा और शिक्षा में मुख्यतः निजी क्षेत्र की अपनी प्रकृति और बढ़ते हुए आपूर्ति मांग-अंतर के कारण, गैर-आनुपातिक रूप से उससे उच्चतर वृद्धि हो सकती है जो सीपीआई में सामने आती है। इस प्रकार, सापेक्ष मूल्य गति को समझने के लिए सेवाओं में मुद्रास्फीति के सही आंकड़े अत्यंत महत्वपूर्ण हैं विशेषतः इसलिए क्योंकि सेवा क्षेत्र जीडीपी के आधे से अधिक है। अतः समिति एक पृथक तथा विशिष्ट सूचकांक नामतः व्यवसाय सेवा मूल्य सूचकांक की सिफारिश करती है जो अर्थव्यवस्था में विभिन्न सेवाओं की बढ़ती लागत की गणना करेगा और उसे दर्शाएगा जिसके अनुसार सरकार नीतियां तैयार कर सकती हैं।	(viii) बीमा (ix) रेल परिवहन (x) सड़क परिवहन को प्रायोगिक व्यावसायिक सेवा मूल्य सूचियों के विकास के प्रारम्भिक चरण के लिए चिन्हित किया गया है।	वायु परिवहन। इन क्षेत्रों की सूचियां उनकी प्रविधियों सहित आर्थिक सलाहाकार के कार्यालय की वैबसाईट पर टिप्पणियों हेतु पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध है। ये सूचियां समय-समय पर अद्यतन की जाती है।	
11.	11	2015-16 के बजट भाषण में यह घोषणा की गई थी जम्मू और कश्मीर, पंजाब, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और असम में एम्स जैसे संस्थान स्थापित किए जाएंगे। समिति सरकार से वास्तविक रूप में व्यवहारिक विकास और प्रगति के साथ इस घोषणाओं के कार्यान्वयन की उम्मीद करती है।	(i) **बजट भाषण 2015-16 में घोषणा की गई एम्स की स्थापना के संबंध में अब तक की गई कार्रवाई।** **जम्मू-कश्मीर में एम्स** माननीय प्रधानमंत्री ने 7 नवम्बर, 2015 को जम्मू-कश्मीर के लिए विकास पैकेज की घोषणा की थी जिसमें जम्मू-कश्मीर के राजधानी नगरों में स्वास्थ्य देख-रेख के लिए एम्स जैसी संस्थाओं (दो एम्स) का	स्वीकृत	

क्र.सं.	सिफारिश सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत	अभ्युक्तियां (यदि कोई हो)
		इसी प्रकार, बजट 2017-18 में घोषित, गुजरात और झारखंड राज्यों में एम्स जैसे संस्थानों की स्थापना पर भी कार्यवाही की जाए और ये परियोजनाएं एक निर्धारित समय सीमा में पूरी की जाएं। इसी प्रकार बजट घोषणाओं (2015-16) में प्रस्तावित 5 अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं के संबंध में भी कार्यवाही नहीं की गई है। समिति चाहती है कि उसे इस संबंध में हुई प्रगति से अवगत कराया जाए।	निर्माण शामिल है। जम्मू-कश्मीर के जम्मू डिवीजन और कश्मीर डिवीजन में क्रमशः जम्मू क्षेत्र में सांबा जिले में विजयपुर और कश्मीर क्षेत्र में अवंतीपुरा, पुलवामा में एम्स की स्थापना हेतु स्थलों का चयन किया गया है। राज्य में इन नए एम्स के निर्माण कार्य के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को एजेंसी के रूप में नियोजित किया गया है। दो एम्स के संबंध में मसौदा ईएफसी नोट 27.10.2016 को परिचालित किया गया था। व्यय विभाग और नीति आयोग से अभिमत प्राप्त हो चुके हैं। व्यय विभाग द्वारा दी गई सलाह के संदर्भ में, जम्मू-कश्मीर सरकार से 12.6 प्रतिशत जम्मू-कश्मीर निर्माण कर से छूट देने का अनुरोध किया गया है। **पंजाब में एम्स** मंत्रिमंडल ने 27.7.2016 को पंजाब में बठिंडा में नए एम्स की स्थापना हेतु प्रस्ताव को मंजूरी दी है। नए एम्स का स्थान गांव जोधपुर रोमाना (180 एकड़) में है। मिट्टी की जांच और स्थलाकृतिक सर्वेक्षण संबंधी निवेश-पूर्व कार्यकलाप पूरे कर लिए गए हैं। चारदीवारी का निर्माण कार्य चल रहा है। पंजाब सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मुख्य निर्माण कार्य के लिए निष्पादनकारी अभिकरण भी नियोजित किया गया है। डिजाइन परामर्शदाता के लिए आरएफपी जारी कर दिया गया है। बोली के पहले की बैठक आयोजित की गई है। **तमिलनाडु में एम्स** तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु में नए एम्स की स्थापना करने के लिए इन स्थलों की पहचान की हैः (i) कांचीपुरम जिले में चेंगलपट्टू (ii) पुडूकोट्टाई जिले में पुडूकोट्टापई शहर (iii) तंजावुर जिले में सेंगीपट्टी (iv) इरोड जिले में पेरूंदुराई (v) मदुरई जिले में तोपर। तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रस्तुत इन स्थलों का निरीक्षण एक केन्द्रीय दल ने किया		

क्र.सं.	सिफारिश सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत	अभ्युक्तियां (यदि कोई हो)
			है। राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे चुनौती विधि के अंतर्गत निर्धारित मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए तीन से चार स्थलों की पहचान करे और उनका मूल्यांकन करे। दिनांक 12.07.2017 का उत्तर प्राप्त हो गया है। राज्य सरकारों के सुझावों के आधार पर स्थल संबंधी अंतिम निर्णय लिया जाना है। **<u>हिमाचल प्रदेश में एम्स</u>** हिमाचल प्रदेश सरकार ने निर्धारित जांच सूची में ब्यौरे प्रस्तुत कर दिए हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत स्थलों का दौरा एक केन्द्रीय दल ने किया है। रिपोर्ट विचाराधीन है । **<u>असम में एम्स</u>** असम में एम्स की स्थापना करने के लिए कामरूप जिले में गांव जालाह, मौजा सिला सिंदूरी घोपा स्थित स्थल का चयन किया गया है। निवेश पूर्व क्रियाकलाप प्रगति पर है। **<u>बिहार में एम्स</u>** बिहार में एम्स जैसी एक और संस्था स्थापित करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री से भूमि की पहचान करने का अनुरोध किया गया था। 10.12.2015, 06.05.2016, 08.12.2016 और 12.04.2017 को अनुस्मारक जारी किए गए हैं। राज्य सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है। चुनौती प्राविधि के तहत मानदंडों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार वहां चार स्थानों की पहचान अभी तक नहीं की है। **(i) बजट भाषण 2017-18 में घोषित एम्स की स्थापना के संबंध में आज तक की गई कार्रवाई** **<u>झारखण्ड में एम्स</u>** झारखण्ड में एम्स की स्थापना के लिए झारखण्ड सरकार द्वारा प्रस्तुत		

क्र.सं.	सिफारिश सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत	अभ्युक्तियां (यदि कोई हो)
			देवघर स्थित स्थल को कतिपय शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन चुना गया है। राज्य सरकार से वचनबद्धता प्राप्त कर ली गई है। निवेश पूर्व क्रियाकलाप प्रगति पर है। डीपीआर प्रस्तुत कर दिया गया है। मसौदा ईएफसी पर विचार किया जा रहा है। **गुजरात में एम्स** राज्य सरकार से तीन से चार उपयुक्त वैकल्पिक स्थलों की पहचान करने और उन्हें प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है ताकि इन स्थलों का निरीक्षण करने के लिए केन्द्रीय दल तैनात किया जा सके। दिनांक 19.07.2017 का उत्तर प्राप्त हो गया है जो मंत्रालय में विचाराधीन है। (ii) **बजट भाषण 2015-16 में घोषित अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं (यूएमपीपी) की स्थापना के संबंध में की गई कार्रवाई** यूएमपीपी की नवीनतम प्रास्थिति प्लग एंड प्ले मोड में कार्यान्वित की जानी है। नवीनतम स्थिति निम्नानुसार हैः विद्युत मंत्रालय ने बोली के लिए निम्नलिखित पांच यूएमपीपी की अनंतिम तौर पर पहचान की थीः (i) चेयूर यूएमपीपी, तमिलनाडु (ii) बेदाबहल यूएमपीपी, ओडिशा (iii) बिहार यूएमपीपी, (iv) देवघर यूएमपीपी, झारखण्ड (v) छत्तीसगढ़ यूएमपीपी बाद में, छत्तीसगढ़ सरकार ने 05.04.2016 के पत्र के जरिए सूचित किया कि छत्तीसगढ़ सरकार 4,000 मेगावाट छत्तीसगढ़ यूएमपीपी स्थापित करने की इच्छुक नहीं है क्योंकि उनके राज्य में 2022-23 तक	आंशिक रूप से स्वीकृत	

क्र.सं.	सिफारिश सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत	अभ्युक्तियां (यदि कोई हो)
			विद्युत की मांग और आपूर्ति में संतुलन बना रहेगा। तदनन्तर छत्तीसगढ़ यूएमपीपी बंद कर दिया गया है। बिहार यूएमपीपी के संबंध में इंफ्रा एसपीवी (विशेष प्रयोजन साधन) को उपयुक्त कोयला ब्लाक निश्चित रूप से आबंटित करने तथा एलएएआर एक्ट 2014 के जरिए भूमि अधिग्रहण से जुड़े मुद्दे हैं और इन पर कार्य चल रहा है तथा इसमें कुछ और समय लग सकता है। देवघर यूएमपीपी के लिए राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त जल उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की जा सकी। इसके अलावा, इंफ्रा एसपीवी (विशेष प्रयोजन साधन) को उपयुक्त कोयला ब्लाक निश्चित रूप से आबंटित करने तथा भूमि अधिग्रहण से संबंधित मुद्दे लंबित हैं और इन मुद्दों के समाधान की प्रक्रिया चल रही है। इस समय विद्युत मंत्रालय दो यूएमपीपी पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है और इसने प्लग एंड प्ले मोड संबंधी बोली के लिए अनंतिम तौर पर निम्नलिखित यूएमपीपी की पहचान की हैः (i) चेयूर यूएमपीपी, तमिलनाडु (ii) बेदाबहल यूएमपीपी, ओडिशा 2. बेदाबहल यूएमपीपी के लिए बोली प्रक्रिया मानक बोली दस्तावेजों (एमबीडी) को अंतिम रूप दिए जाने और कोयला मंत्रालय द्वारा कोयला ब्लाकों के निश्चित आबंटन के बाद शुरू की जाएगी। चेयूर यूएमपीपी मूलतः आयातित कोयले पर स्थापित करने की परिकल्पना की गई थी लेकिन विद्युत मंत्रालय अभी आयातित कोयले के स्थान पर घरेलू कोयले की मदद से चेयूर यूएमपीपी की स्थापना करने की संभावना की जांच कर रहा है।		

क्र.सं.	सिफारिश सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत	अभ्युक्तियां (यदि कोई हो)
12.	12	जहां तक सरकार की विनिवेश नीति का संबंध है, समिति का मत है कि विनिवेश के लिए मात्र सांख्यिकीय लक्ष्य निर्धारित करने के स्थान पर एक महत्वपूर्ण सुधार के रूप में निति लक्ष्यों पर ध्यान केन्द्रित होना चाहिए यथा चयनित और पहचान किये गए गैर-रणनीतिक क्षेत्रों में सरकार की भागीदारी कम करना, विनिवेशित पीएसयूस के लिए वास्तविक कार्यात्मक स्वायत्तता, वित्तीय क्षेत्र मे बड़े उपक्रमों को वृहत्तर सार्वजनिक जांच के दायरे मे लाते हुए सार्वजनिक सूचीबद्ध करना और जहाँ व्यावहारिक लगे वहां रूग्ण सार्वजनिक उपक्रमों के संभावित पुर्नरूद्धार के लिए विनिवेश प्राप्तियों का उपयोग। इसके अलावा समिति का मानना है की विनिवेश का उद्देश्य उस समय निष्फल हो जाता है जब यह गैर-कर राजस्व के रूप में भारत की संचित निधि में योगदान के बजाए केवल दो अथवा अधिक सार्वजनिक उपक्रमों के बीच ही लेनदेन होता है। अतः अब समय आ गया है की विनिवेश को समुचित रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए ताकि यह प्रक्रिया कुछ सार्वजनिक उपक्रमों के बीच मात्र एक सांख्यकीय लेखा समायोजन न बन कर रह जाए। समिति चाहती है कि विनिवेश अधिक विश्वसनीय तथा प्रयोजनमूलक होना चाहिए और इसके उपयोग पर निगरानी रखी जाए । समिति चाहती है कि तदनुसार इस दिशा मे ठोस रूपरेखा बनायीं जाए और उस पर कार्रवाई की जाए तथा इस संबंध मे समिति को अवगत कराया जाये	**क) मौजूदा विनिवेश नीति की मुख्य विशेषताएं** केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसईस) में विनिवेश, 'अल्पांश हिस्सेदारी की बिक्री' और 'सामरिक विनिवेश' के संबंध में सरकार की मौजूदा विनिवेश नीति के अनुसार किया जाता है। मौजूदा विनिवेश नीति की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं : (i) सूचीबद्ध सीपीएसईस में अल्पांश हिस्सेदारी की बिक्री के माध्यम से विनिवेश ❖ सरकार अधिकांश शेयरधारिता (51%) और प्रबंधन नियंत्रण अपने पास बनाए रखेगी; ❖ सूचीकरण मानकों के अनुसार 25% सार्वजनिक शेयरधारिता का लक्ष्य प्राप्त करना; ❖ सरकार के लिए संसाधन जुटाना। (ii) लाभप्रद सीपीएसईस को सूचीबद्ध करना ❖ सूचीकरण द्वारा कंपनी के मूल्य को निर्मुक्त करना; ❖ जन-स्वामित्व और हिस्सेदारों की जवाबदेही को बढ़ाना। (iii) सामरिक विनिवेश - प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ 50% तक या उससे अधिक हिस्से की बिक्री। ❖ गैर-सामरिक व्यवसाय से सरकार का बाहर निकलना; ❖ कंपनी की दक्षता और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना; ❖ व्यवसायिक उद्यमों की ईष्टतम आर्थिक क्षमता को निर्मुक्त करना। **ख. सीपीएसईस का सूचीकरण** (i) मौजूदा विनिवेश नीति के अनुसार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के जिन उद्यमों (सीपीएसईस) का निवल मूल्य सकारात्मक है, कोई संचित घाटा नहीं है और जिन्होंने पिछले 3 वर्षों में लगातार निवल	स्वीकृत	लागू विनिवेश नीति में स्थायी समिति की सिफारिशें/टीका टिप्पणियां पर्याप्त रूप से शामिल हैं।

क्र.सं.	सिफारिश सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत	अभ्युक्तियां (यदि कोई हो)
			लाभ अर्जित किया है, उन्हें सेबी के नियमों/विनियमों का अनुसरण करते हुए स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध करने हेतु विचार किया जाता है। (ii) जैसाकि बजट 2017-18 में घोषित किया गया है, सरकार ने 17.02.2017 को सीपीएसईस के सूचीकरण के लिए संकेतात्मक समय-सीमा के साथ एक तंत्र/क्रियाविधि की शुरूआत की है। प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से लागू अधिनियम, नियमों और विनियमों के अनुसार अभिज्ञात सीपीएसईस का समयबद्ध सूचीकरण संपन्न करने का अनुरोध किया गया है। (iii) सीपीएसईस के सूचीकरण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य कंपनी के वास्तविक मूल्य को निर्मुक्त करना और सीपीएसईस में जन-भागीदारी को बढ़ावा देकर जन-स्वामित्व को बढ़ावा देना है। सूचीकरण के रास्ते कंपनी में शेयरधारक बनने से आम जनता प्रबंधन की संवीक्षा कर सकती है और इस प्रकार सूचीबद्ध सीपीएसईस के लिए लागू प्रकटीकरण मापदंड़ों और अनुपालन के अनुसार प्रबंधन अपने शेयरधारकों के प्रति जवाबदेह बन जाता है। (iv) लाभप्रद सीपीएसईस को स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध करने से बहु-स्तरीय निगरानी तंत्र सक्रिय हो जाता है, जिससे न केवल शेयर मूल्य में वृद्धि होती है बल्कि ऐसी कंपनियों में निगमित नियंत्रण संबंधी मापदंड़ों को भी बढ़ावा मिलता है। सेबी/कंपनी कानून/स्टॉक एक्सचेंजों की सूचीकरण संबंधी अपेक्षाओं के अनुसार सीपीएसईस द्वारा अनेक अनिवार्य प्रकटीकरण अपेक्षाओं का अनुपालन करना अनिवार्य होता है। **(ग) पारदर्शिता को बढ़ावा देना** (i) सरकार सीपीएसईस में अपनी शेयरधारिता का विनिवेश करने के लिए लागू अधिनियमों, नियमों और विनियमों के अनुसार विनिवेश की अनुमत पद्धतियों में से कोई एक पद्धति अपनाती है। विनिवेश		

क्र.सं.	सिफारिश सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत	अभ्युक्तियां (यदि कोई हो)
			प्रक्रिया समय के साथ विकसित हुई है और अंतर-मंत्रालय परामर्श तथा बाजार मध्यस्थों/निवेशक समुदाय के साथ विधिवत परामर्शों के माध्यम से निर्णय लेने की प्रक्रिया पर आधारित है। सौदा स्टॉक एक्सचेंज मंच का उपयोग करते हुए सेबी के विनियमों के अनुसार संपन्न किया जाता है। (ii) सरकार की नीति और प्रतिबद्धता के अनुसार सीपीएसईस में अल्पांश हिस्सेदारी की बिक्री के माध्यम से विनिवेश सटीक समय-सीमा के पालन के बिना किया जाता है। सरकार विनिवेश सौदों के लिए सही अवसर की तलाश में रहती है तथा विवेकपूर्ण तरीके से आगे बढ़ती है। (iii) सामरिक विनिवेश के संबंध में सरकार ने एक स्वतंत्र बाहरी मॉनीटर (आईईएम) का गठन किया है, जिसमें निम्नलिखित प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल हैं :- (क) माननीय न्यायाधीश आर.सी. लाहोटी, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश (ख) श्री वी.के. शुंगलु, भारत के पूर्व नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) (ग) श्री पी. शंकर, पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) (iv) आईईएम सामरिक विनिवेश के लिए निम्नलिखित अधिदेश के साथ एक सिंहावलोकन समिति के रूप में कार्य करेगा : (क) सीपीएसई/इकाईयों के मूल्यांकन की प्रक्रिया की पुनरीक्षा करना; (ख) सीपीएसई/इकाईयों के सामरिक विनिवेश की सौदा प्रक्रिया का सिंहावलोकन करना; (ग) प्राप्त शिकायतों की जांच करना और उन्हें दूर करना; और (घ) कोई अन्य मामला जो सरकार द्वारा आईईएम को संदर्भित किया जाए।		

अनुदान संख्या 22 - रक्षा पेंशन
GRANT No. 22 - DEFENCE PENSIONS

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत– Saving-
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
प्रभारित–	*Charged-*				
मूल	*Original*	*74,00*	*3,00,00*	*3,14,66*	*+14,66*
पूरक	*Supplementary*	*2,26,00*			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत–	**Voted-**				
मूल	Original	54499,26,00	60235,00,00	60234,45,68	-54,32
पूरक	Supplementary	5735,74,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के *प्रभारित* भाग में, यद्यपि दिसम्बर, 2015 में *₹226.00 लाख* का पूरक *विनियोग* प्राप्त किया गया था, व्यय स्वीकृत *विनियोग* से *₹14.66 लाख* अधिक हो गया (वास्तविक अधिक व्यय ₹14,65,728 था)। **इस अधिक व्यय को संसद द्वारा अनुदान की अधिक मांगों को स्वीकृत करवाकर विनियमित कराए जाने आवश्यकता है।**

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the grant, although supplementary *appropriation* of *₹226.00 lakhs* was obtained in December, 2015, the expenditure exceeded the sanctioned *appropriation* by *₹14.66 lakhs* (actual excess was ₹14,65,728). **The excess requires regularization by voting of Excess Demands for Grants by the Parliament.**

अधिक व्यय/बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुआ/हुईः–

Excess/savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2071" पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	Major Head "2071" Pensions and other Retirement Benefits				
मू.	*O.*	*74.00*	*300.00*	*314.66*	*+14.66*
पू.	*S.*	*226.00*			

अनुदान संख्या 34 - आर्थिक कार्य विभाग
GRANT No. 34 - DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving-
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	17774,88,00	17941,94,00	11756,85,76	-6185,08,24
पूरक	Supplementary	167,06,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				6100,29,53
पूंजीगत:	**Capital :**				
स्वीकृत–	Voted -				
मूल	Original	5601,69,00	78412,12,00	76967,43,82	-1444,68,18
पूरक	Supplementary	72810,43,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				553,50,12

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹618508.24 लाख) जुलाई, 2015, दिसंबर, 2015 और मार्च, 2016 में प्राप्त किए गए ₹16706.00 लाख की पूरक अनुदानों से अधिक हो गईं तथा यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 34 प्रतिशत थीं।

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹618508.24 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹16706.00 lakhs obtained in July, 2015, December, 2015 and March, 2016 and constituted 34 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:–

Savings/excess occurred under the following major heads :-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2052"	Major Head "2052"				
सचिवालय – सामान्य सेवाएं	Secretariat - General Services				
मू.	O.	16245.00	12646.35	11596.55	-1049.80
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	-3599.65			

अनुबंध-II

केन्द्रीय बजट 2017-18 में डिजिटल भुगतानों से संबंधित मुख्य घोषणाएं

1. ऐसे प्रमाण मिल चुके हैं कि डिजीटल लेन-देनों में वृद्धि हुई है। भीम ऐप शुरू किया गया है। यह डिजीटल भुगतान और वित्तीय समावेशन के लिए मोबाइल फोनों की क्षमता को सामने लाएगा। अब तक 125 लाख लोगों ने भीम ऐप को अपनाया है। भीम के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार दो नई स्कीमें शुरू करेगी; ये हैं व्यक्तियों के लिए रेफरल बोनस स्कीम और व्यापारियों के लिए कैशबैक स्कीम।

2. आधार पे जो आधार समर्थित भुगतान प्रणाली का व्यापारिक संस्करण है, जल्द ही आरंभ किया जाएगा। यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होगा, जिनके पास डेबिट कार्ड, मोबाइल वॉलेट और मोबाइल फोन नहीं हैं।

3. यूपीआई, यूएसएसडी, आधार पे, आईएमपीएस और डेबिट कार्डों के जरिए 2017-18 के लिए 2,500 करोड़ डिजीटल लेनदेन के लक्ष्य के साथ एक मिशन की स्थापना की जाएगी।

4. बैंकों ने, मार्च, 2017 तक अतिरिक्त 10 लाख नए पीओएस टर्मिनल शुरू करने का लक्ष्य रखा है। उन्हें सितम्बर, 2017 तक 20 लाख आधार पर आधारित पीओएस शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

5. डिजीटल भुगतान अवसंरचना और शिकायत निवारण तंत्रों को सुदृढ़ किया जाएगा। डाक घरों, उचित दर दुकानों और बैंकिंग सहयोगकर्ताओं के माध्यम से ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पेट्रोल पम्पों, उर्वरक डिपो, नगरपालिकाओं, ब्लॉक कार्यालयों, सड़क परिवहन कार्यालयों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, अस्पतालों और अन्य संस्थाओं को **भीम** ऐप तथा डिजीटल भुगतान की सुविधाएं रखने के लिए बढ़ावा देने और संभवतः उन्हें अधिदेश देने के लिए कदम उठाए जाएंगे। निर्धारित सीमा से अधिक सरकारी प्राप्तियों को डिजिटल भुगतानों से ही प्राप्त करना अधिदेशित करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

6. बढ़े हुए डिजीटल लेनदेन, लघु और सूक्ष्म उद्यमों को औपचारिक ऋण प्राप्त करने में समर्थ बनाएंगे। सरकार सिडबी को उधारकर्ताओं के लेनदेन संबंधी पूर्ववृत्त के आधार पर उन्हें उचित ब्याज दरों पर अप्रतिभूत ऋण प्रदान करने वाली क्रेडिट संस्थाओं को पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

7. सरकार डिजीटल लेनदेन संबंधी मुख्यमंत्रियों की समिति की अंतरिम सिफारिशों को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ विचार करेगी और इस संबंध में काम करेगी।

Annexure

Statement showing Action Taken on the recommendations/observations contained in the 46th Report of the Standing Committee on Finance on Demands for Grants (2017-18) of the Ministry of Finance (Departments of Economic Affairs, Expenditure, Financial Services & DIPAM).

Sl. No.	Recommen-dation No.	Recommendation	Action taken by Government	Whether Accepted or not by Government	Remarks *(if any)*
1	2	3	4	5	6
1	01	The Ministry of Finance is the nodal Ministry/agency for formulation and budgetary allocation for the entire Government. However, the Committee are surprised to note that there have been instances of inconsistencies in the budget allocations and occurrence of wide variations between the Budget estimates and Actuals. In respect of Demand no. 29 (Department of Economic Affairs), the Committee note a jigsaw-like inconsistent trend of BEs for 2014-15, 2015-16, 2016-17 and 2017-18 i.e. ₹219910.42, ₹23576.57, ₹20804.09 and ₹15,455.84 respectively. The Committee also note in the same Demand no. 29, that there was a huge mismatch between the BE and Actuals in 2015-16 (BE ₹23,576.57 crore, RE ₹73,668.11 crore and the Actuals, ₹88,846.16 crore). Thus, the actual expenditure exceeded the budget estimates	**(Department of Economic Affairs)** The primary reasons of steep increase in the budgetary provision to the extent of ₹10, 85,437.70 crore at RE stage for the year 2016-17 was on account of providing of funds for repayment of amount raised by issuing Cash Management Bills (CMBs) under Market Stabilization Scheme (MSS) for absorbing the excess liquidity from the system and for redemption of Inter mediate Treasury Bills (ITBs) where the state Governments were invested / parked a large amount from their surplus accumulations. It is pertinent to mention that since the additional repayments are matched by receipts, there will not be any additional cash outgo. As such, under this Appropriation (Repayment of Debts) repayments would not have the same meaning as would otherwise have been for other areas of expenditure. **(Department of Financial Services)** The gross budgetary allocation for Department of Financial Services for Financial Year 2016-17 (BE) was ₹33755.52 crore and for Financial Year 2017-18 (BE) is ₹19618.00 crore. The recapitalization of Public Sector Banks (PSBs) is being carried out as per the approved INDRADHANUSH Plan to enable PSBs	Accepted Accepted	

Sl. No.	Recommen-dation No.	Recommendation	Action taken by Government	Whether Accepted or not by Government	Remarks *(if any)*
1	2	3	4	5	6
		to the tune of ₹65,296.59 crore i.e. 3.75 times of BE. The Budget Estimates allocated for 2017-18 for Demand No. 31 (Department of Financial Services) is ₹19,618.01 crore as against ₹33,755.52 crore allocated for 2016-17, which is a steep reduction by about 42% i.e. ₹14,137.51 crore. There has also been a yawning gap between the BE and RE in 2016-17 under Demand no. 38 (Appropriations - Repayment of Debt), wherein, the BE of ₹44,06,431.08 crore has been drastically increased to ₹54,91,868.78 crores; amounting to a steep increase to the tune of ₹10,85,437.70 crore at RE stage for the year 2016-17. From the above instances of inconsistent budgeting and recurring occurrences of wide variations between the budget estimates, revised estimates and the Actuals, the Committee cannot but conclude that the budgetary exercise should have been done with greater due diligence. The Committee, would once again urge that the standard rules and guidelines may be strictly applied and if required, objective parameters may be devised for this purpose	to comply with regulatory norms of capital adequacy. The INDRADHANUSH Plan, inter-alia, envisages capital infusion of a total sum of ₹70,000 crore to the PSBs through budgetary allocation over a four year period starting from 2015-16 as indicated below: (₹ in crore) **S.No.** **Year** **Budget allocation** 1 2015-16 25,000 2 2016-17 25,000 3 2017-18 10,000 4 2018-19 10,000 The budgetary allocation during 2017-18 for the "Recapitalization of Public Sector Banks' is ₹10,000 crore as against ₹25,000 crore for 2016-17 is primarily need based as per the approved plan of INDRADHANUSH (above table). Thus budget requirement is less for 2017-18 as compared to 2016-17 in budgetary allocation of Department of Financial Services.		

Sl. No.	Recommen-dation No.	Recommendation	Action taken by Government	Whether Accepted or not by Government	Remarks *(if any)*
1	2	3	4	5	6
		so as to avoid inconsistencies and mismatch in their estimates in future and put forth realistic and need based demands.			
2.	02	The Committee agree with the decision of the government in advancing the budget date so that the financial business of the government finishes before 31st March of each year and the respective ministries / departments / organizations are able to spend their allocated money as per the underlying policy / scheme / activity etc. right from the beginning of the financial year. The Committee however find that shifting the budget by one month leads to non-availability of comparative data for almost a quarter and in the process, the utilization of funds, achievement of physical and financial targets cannot be determined and therefore the performance of the ministry/departments /other schemes/ policies cannot be assessed in proper perspective. The Committee, therefore, believe that greater preparations and adequate groundwork should have been	The Government has set up the Committee under the Chairmanship of Dr. Shankar Acharya to examine the merits and demerits of various dates for the commencement of the financial year including the existing date (April to March) taking into account the various relevant factors. The Committee has submitted its report in December, 2016 and the same is under consideration of the Government.	Accepted	

Sl. No.	Recommen-dation No.	Recommendation	Action taken by Government	Whether Accepted or not by Government	Remarks *(if any)*
1	2	3	4	5	6
		made before hastening this exercise. The Committee would thus expect a more thorough exercise next year onwards. Keeping in view the above constraints, the Committee would suggest that the financial year may also be correspondingly shifted to calendar year and the budget date be further advanced correspondingly.			
3.	03	In respect of APY (Atal Pension Yojana), ₹29 crore has been released against the BE 2016-17 of ₹200 crore ; in respect of Prime Minister Jan Dhan Yojana (PMJDY),₹1 crore has been utilised against the RE of ₹100.00 crore in 2014-15; ₹10.00 crore against BE of ₹100.00 crore in 2015-16; ₹0.00 crore against ₹BE of ₹100 crore in 2016-17; in respect of PMJJBY (Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana) and PMSBY (Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana) no fund has been utilised till Dec 2016 under the schemes; in respect of AABY (Aam Aadmi Bima Yojana) also, the BE of ₹450 crore for 2016-17 remains unutilised till Dec 2016 and in respect of	**(Department of Economic Affairs)** Demand for grants are made on the basis of projects granted In - principle approval and final approval of projects and disbursements are made during construction period based on the amount of debt disbursed by the financial institutions and after the private developer has contributed his entire share of equity. Hence, the actual VGF requirement cannot be predicted accurately. The actual draw down is done by the implementing agency (including State Governments/Central Line Ministries) and they had, at all review stages, including R.E., confirmed that the projected expenditure was on schedule. Non-receipt of the grant, which is done pari-passu with debt drawdown after expending of equity jeopardies project implementation. Hence, there is no option but to wait until 31st March for such requests. Therefore, while care is taken to ensure formulating the BE	Partially Accepted	₹250 crore mentioned in the Recommenda-tion does not pertain to India Infrastructure Project Development Fund (IIPDF). In fact ₹250 Cr. were earmarked for Assistance for Infrastructure Development (Plan) for assisting Public

Sl. No.	Recommen-dation No.	Recommendation	Action taken by Government	Whether Accepted or not by Government	Remarks *(if any)*
1	2	3	4	5	6
		VPBY (Varistha Pension Bima Yojana) no expenditure has been incurred under this scheme till December 2016 against the RE of ₹109.32 crore. From the above, it appears that various schemes have been launched without undertaking effective exercise for accurate estimation of requirement of funds under these schemes and also without having proper plan for utilisation of the allocations. The Budget allocations thus made under these heads, resulted in the funds lying idle and the schemes remaining bereft of achieving the desired objectives and social outcomes. The Committee would, therefore, urge the concerned officials to be more diligent in estimation of requirements and strive for utilisation of the funds allocated for implementing these schemes which are fundamentally meant for providing much needed social security cover to the people in distress. The Committee desire that these schemes need to be popularised through a regular pro-active public awareness campaign through electronic and print media. The Committee	requirement, it is essential that construction of the infrastructure does not suffer due to shortage of funds. If intimation of delayed draw down is received from the Sponsoring Authorities, the BE projections can be amended under RE. It is further informed that in view of the lower requirements received from Sponsoring Authorities Final Requirement under this Head was reduced to ₹ 132.2639 crore. **(Department of Financial Services)** The Report highlights the overall under utilization of fund in the Department of Financial Services during 2016-17. In respect of the Atal Pension Yojana, B.E. for 2016-17 was ₹ 200.00 cr including ₹ 120.00 cr for Government contribution to the eligible subscribers, ₹ 72.00 crore for payment of incentive to Banks for enrolment under APY and ₹ 8.00 crore for Media Campaign for the Scheme. The amount budgeted for Government contribution under APY was not fully utilized because of savings available with PFRDA. Fund requirement for Incentive to Banks for enrolment under APY was also revised to ₹ 32.00 cr in R.E. 2016-17, after observing the trend of enrolment in APY. In respect of Media Campaign only ₹ 4.00 crore was utilized as got released to PFRDA, as balance bill of ₹ 4.00 crore could not get settled	Accepted	Private Partnership (PPP) project in Infrastructure sector through Viability Gap Funding support.

Sl. No.	Recommen-dation No.	Recommendation	Action taken by Government	Whether Accepted or not by Government	Remarks *(if any)*
1	2	3	4	5	6
		would further suggest the Ministry to explore the possibility of having a single comprehensive social security scheme to cater to the needs of varied beneficiaries in place of numerous existing schemes and thus avoid thin spread of resources. Furthermore, the Committee would expect the Schemes for optimal utilisation of the Budgetary allocations for Welfare of SC, ST, Other Vulnerable Groups, Women, Children etc. to be pursued vigorously, as emphasized in the Budget speech document (2017-18). The Committee would also recommend in this regard that a separate legislation for the SC & ST component of the expenditure may be brought, as done by some of the States, particularly at this stage when the distinction between plan and non-plan components have been done away with. A similar trend of large under-utilisation of budgeted estimate / allocation has been noticed with respect to Viability Gap Funding (VGF) for infrastructure development as well, with the actual expenditure (upto December 2016)	between PFRDA and DAVP. This Department is coordinating with PFRDA to ensure more realistic estimation of fund requirement in future. **Prime Minister Jan Dhan Yojana (PMJDY):** Under the PMJDY scheme life cover of ₹ 30,000 is extended to members in the age group of 18 to 59 who have opened PMJDY Bank account during the period of 15.08.2014 to 31.01.2015 subject to certain conditions. The premium subscription of ₹90/- per eligible PMJDY account holders under the scheme is fully borne by the Central Government. The scheme is being implemented through Life Insurance Corporation of India (LIC). LIC proposed to create a Life Fund with initial corpus of ₹100 crore. This Fund is to be replenished from time to time by the Central Government to meet any shortfall. Accordingly, based on initial estimates, an amount of ₹100 crore was provided in Revised Estimates (RE) 2014-15. PMJDY scheme having inbuilt benefit of life insurance cover of ₹30,000/- was launched in August 2014, became very popular within a short span of time. Keeping in view the growing popularity of the scheme, it was expected that large number of accounts will be opened under PMJDY and inter-alia, large number of claims would be expected. Keeping in view the number of accounts and probable future claims, provisions of ₹100 crore each were made by the		

Sl. No.	Recommen-dation No.	Recommendation	Action taken by Government	Whether Accepted or not by Government	Remarks *(if any)*
1	2	3	4	5	6
		remaining only ₹102.27 crore against the allocated amount of ₹250.00 crore meant for India Infrastructure Project Development Fund and activities for mainstreaming PPP projects. As such non-utilisation or under-utilisation has an adverse impact upon infrastructure development, special monitoring of expenditure is urgently warranted.	Govt. of India in BE 2015-16 and BE 2016-17 respectively for reimbursement of estimated future claims settled by LIC and to replenish the fund for any shortfall. Based on the actual total claims settled, demand was raised by LIC in the last quarter of the FYs. Accordingly, ₹1.00 crore was released during 2014-15 and ₹10 crore each during 2015-16 and 2016-17 respectively. Considering the pattern of demand raised by LIC in last three years, for FY 2017-18 provision of ₹ 10.00 crores has been made. **Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) and Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY):** The Union Cabinet, in its meeting held on 6.5.2015, had approved the proposal for providing Budget for building awareness on Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) and Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY). For popularising these schemes through public awareness, a budget provision of ₹50 crore was made in BE 2016-17. For the purpose of awareness campaign, resources from LIC, SIDBI & PFRDA were also utilised to minimize the duplication of effort. Accordingly, in RE 2016-17 an amount of ₹5 crore was provided, which was fully utilised. For the FY 2017-18, an amount of ₹20 crore has been earmarked under BE. **Aam Aadmi Bima Yojana (AABY):** LIC raises the demand for release of the fund after the expenditure towards the scheme		

Sl. No.	Recommen-dation No.	Recommendation	Action taken by Government	Whether Accepted or not by Government	Remarks *(if any)*
1	2	3	4	5	6
			is audited by their Statutory Auditors. Accordingly, the fund is released only after the demand is received from LIC. Under 'AABY Scholarship Fund', LIC raised demand for release of ₹200.00 crore during 2016-17. However, the budgetary provision for the scheme in Revised Estimates (RE) 2016-17 was reduced to ₹100.00 crore and the same was released to LIC. **Varishtha Pension Bima Yojana (VPBY):** In the Union Budget, 2015, life insurance service provided by way of Varishtha Pension Bima Yojana (VPBY) scheme was exempted from service tax w.e.f. 01st April, 2015. However, for the period from 14th August, 2014 (date of launching of VPBY) to 31st March, 2015, LIC had collected service tax on policy subscriber contribution under the scheme and it was decided by the Government that LIC would refund the service tax collected to the subscribers and they will raise the demand for reimbursement to the Central Government after obtaining a certificate from the Chartered Accountant (CA) firm/ auditors indicating that the amount have been reimbursed to the subscribers of the scheme. Accordingly, LIC has provided the requisite CA certificate indicating that the service tax collected amounting to ₹109,32,26,720.00 from the subscribers have been refunded to them by LIC vide LIC's letter dated 20.02.2017. This is a one time reimbursement of service-tax to the subscribers of the VPBY, hence an amount of ₹ 109.32 was requested in RE 2016-17 and the budgetary provision was accordingly released to LIC.		

Sl. No.	Recommen-dation No.	Recommendation	Action taken by Government	Whether Accepted or not by Government	Remarks *(if any)*
1	2	3	4	5	6
			With regard to recommendations of the Committee that Ministry to explore the possibility of having a single comprehensive social security scheme, it is submitted that needs for various schemes are different so as the risk coverage. Risk profiles of a similar kind, requires a lower premium, than when different risk profiles are clubbed together.		
4.	04	The Committee further note that in the Demands for Grants document, the Ministry of Finance termed the allocation which has been left unutilised at the end of every fiscal as "savings", which is mis-leading, as such unutilised allocations are not actually any 'savings' but 'unspent' or 'unutilised' funds, which have therefore to be expressed as such in all future financial documents. After utilising the funds for the intended purpose, what remains should be actually defined as 'Savings', distinguishing it thus from unspent balance which relates to non-achievement of the budgeted objectives.	On examination of the said recommendation, it is observed that there is no indication of 'savings' either in the Demands for Grants or in the Detailed Demands for Grants or in the Annual Report of this Ministry. Generally, such details of 'savings' are not brought out as part of Budget Documents. In the Appropriation Accounts of the Ministry / Department compiled by the office of the CGA, the 'savings' or 'excess' is brought out after comparing the total appropriation authorized by Parliament and the amount spent by that Ministry. A copy each of the Grant No. 22 - Defence Pensions and Grant No. 34 - Department of Economic Affairs is enclosed herewith for reference (Annex I).	Accepted	
5	05.	The Budget allocation for RRBs in 2014-15 was ₹50.00 crore but it was left unspent at the end of the year. The allocation of ₹140.00 crore in 2016-17 was revised to ₹5.50 crore at RE stage. However only	Government has taken various initiatives for strengthening the RRBs and making them economically viable and sustainable institutions, such as: **(a) Amalgamation of RRBs:** The structural consolidation of RRBs was initiated by	Accepted	

Sl. No.	Recommen-dation No.	Recommendation	Action taken by Government	Whether Accepted or not by Government	Remarks *(if any)*
1	2	3	4	5	6
		₹2.60 crore has been spent till 2016. From the way the Budget Allocations for RRBs have been left unspent or under-utilised, the Committee apprehend that RRBs, which have been set up primarily to provide credit and related facilities to the small and marginal farmers, agricultural labourers, artisans and entrepreneurs in rural areas, have not been treated with due seriousness. The Committee therefore recommend that the Government should take all steps to improve the state of affairs of the RRBs with urgency and focus on bringing them in the mainstream core banking by incentivising them adequately. As the RRBs are one of the main instruments for financial inclusion / rural credit delivery, they are required to be strengthened with adequate capital, especially considering the paucity of credit available in the rural hinterland.	Government in 2005-06 by amalgamating RRBs sponsored by same bank in a State. The process was completed in 2009-10. The number of RRBs was brought down to 82 from 196. With a view to minimize overhead expenses and optimize the use of technology in RRBs, amalgamation of geographically contiguous RRBs, sponsored by different banks in State was started in 2011-12. 44 RRBs have been amalgamated into 18 entities in 12 states. Thus the number of RRBs has been brought down to 56 from 82. **(b) Amendment in Regional Rural Banks Act, 1976:** In view of the growing role of RRBs in extending banking services in rural areas, the Government has undertaken certain amendments to the Regional Rural Banks Act, 1976. The Regional Rural Banks (Amendment) Act, 2015, in this regard, was notified on 13th May, 2015, which inter-alia included: (i) Increasing of authorized capital of RRBs to ₹2000 crore from ₹5 crore. (ii) Raising of capital from market by the RRBs, subject to the condition that in no event the consolidated shareholding of Central Government and the Sponsor Bank shall be less than 51%.		

Sl. No.	Recommen-dation No.	Recommendation	Action taken by Government	Whether Accepted or not by Government	Remarks *(if any)*
1	2	3	4	5	6
			(iii) Amending the ceiling of ₹1.00 crore on the issued capital of each RRB by providing ₹1.00 crore as the minimum issued capital. **(c) RRBs (Appointment of Officers and Employees) Rules, 2017:** With a view to making the recruitment process in RRBs more rigorous and transparent and also to align the same with the government policy, wherever applicable, the Government, in consultation with NABARD and the Sponsor Banks, brought in certain improvements in recruitment process in RRBs. In this regard, the RRBs (Appointment of Officers and Employees) Rules, 2017 has been notified on 29th March, 2017 in supersession of the RRBs (Appointment and promotion of Officers and Employees) Rules, 2010. **(d) Guidelines for Statutory Audit of RRBs:** With a view to make the system more pragmatic, objective and transparent, the Government has revised the guidelines regarding appointment of auditors for RRBs **(e) Recapitalisation of RRBs:** The scheme for recapitalisation of RRBs was started in the year 2010-11. Upto 2016-17, an amount of ₹1107.20 crore has been provided to RRBs whose CRAR stood below 9%.		

Sl. No.	Recommen-dation No.	Recommendation	Action taken by Government	Whether Accepted or not by Government	Remarks *(if any)*
1	2	3	4	5	6
6	06	In the backdrop of rising NPAs, stressed assets, large provisioning and declining profitability, the Committee find that the PSBs are not in a state of sound financial health. With the recent upsurge in deposits post-demonetisation, the Committee would expect greater flow of credit to industry, particularly MSMEs. The Committee would also expect the CD ratios of PSBs which are particularly low in the eastern and North-eastern region, to improve and also become more equitable and evenly spread across different regions of the country. The fresh capital infusion in PSBs through budgetary allocations viz. ₹10,000 crore and deposits due to demonetisation should be thus well-utilised for boosting affordable credit to different sectors of the economy.	**Reply to Recommendation No.6&7** For revamping of PSBs a plan namely "INDRADHANUSH" covering 7 points viz. Appointments, formation of Bank Board Bureau, Capitalization, De-stressing PSBs, Empowerment, Framework of Accountability and Governance Reforms was launched on 14.08.2015. The steps taken by the Government are as follows:- **Capitalization scheme for Public Sector Banks (PSBs):** The Government of India had proposed to make available ₹70,000 crores out of budgetary allocations for four years as per the figures given below: (i) Financial Year 2015 -16 - ₹ 25,000 crore (ii) Financial Year 2016-17 - ₹ 25,000 crore (iii) Financial Year 2017-18 - ₹ 10,000 crore (iv) Financial Year 2018-19 - ₹ 10,000 crore **Total - ₹ 70,000 crore** The Government infused a sum of ₹ 25000 crore in 19 PSBs during financial year 2015-16. Further, A sum of ₹ 24,997.19 crore has been infused in 16 PSBs during 2016-17 to enable them to comply with the Basel-III norms for capital adequacy.	Accepted	

Sl. No.	Recommen-dation No.	Recommendation	Action taken by Government	Whether Accepted or not by Government	Remarks *(if any)*
1	2	3	4	5	6
7.	07	It is also necessary that the government also imposes accountability on the banks for the funds being infused. Given the strain on its fiscal resources, it would be difficult for the Government to periodically infuse capital into these banks. It is therefore expedient that the Government should enforce certain minimum performance parameters in this regard, while rewarding efficiency. As the PSBs account for a substantial chunk of the resources for the commercial sector, the Indian economy needs a strong and vibrant banking system in the public sector. Since NPAs / stressed assets have been steadily increasing in spite of several restructuring schemes, we find the credit growth at an all-time low. The Government should, therefore, instil dynamism and confidence in the banking sector so that rational decisions can be made keeping in view	A capital of ₹ 10,000 crore has been proposed for Re-capitalization of PSBs for the FY -2017-18. **De-stressing PSBs** Following steps have been taken by the Government: **Strengthening Risk Control measures and NPA Disclosures** **Besides the recovery efforts under the DRT & SARFAESI mechanism, the following additional steps have been taken to address the issue of NPAs:** i. RBI has released guidelines dated 30 January, 2014 for **"Early Recognition of Financial Distress, Prompt Steps for Resolution and Fair Recovery for Lenders: Framework for Revitalizing Distressed Assets in the Economy"** suggesting various steps for quicker recognition and resolution of stressed assets: Ø **Creation of a Central Repository of Information on Large Credits (CRILC),** which requires reporting of loan accounts before they turn into NPA by creating a sub-asset category viz. 'Special Mention Accounts' (SMA). Ø **Formation of Joint Lenders Forum (JLF), Corrective Action Plan (CAP), and sale of assets** in case of consortium lending as soon as an account is reported to CRILC as SMA-2, the lenders, should form a lenders' committee to be called Joint	Accepted	

Sl. No.	Recommen-dation No.	Recommendation	Action taken by Government	Whether Accepted or not by Government	Remarks *(if any)*
1	2	3	4	5	6
		profitability and prudent investment, without fear of disciplinary action even in cases of judicious decisions. It has thus become necessary that the morale of bankers is maintained so that credit growth picks up.	Lenders' Forum (JLF) under a convener and formulate a joint corrective action plan (CAP) for early resolution of the stress in the account. ii. **Flexible Structuring of Loan Term Project Loans to Infrastructure and Core Industries - RBI issued guidelines on July 15, 2014 and December 15, 2014 -** Ø Long term financing for infrastructure has been a major constraint in encouraging larger private sector participation in this sector. On the asset side, banks will be encouraged to extend long term loans to infrastructure sector with flexible structuring to absorb potential adverse contingencies, **(also known as the 5/25 structure).** **iii. Willful Default/Non-Cooperative Borrowers:** RBI has now come out with new category of borrower called Non-Cooperative borrower. A non-cooperative borrower is a borrower who does not provide information on its finances to the banks. Banks will have to do higher provisioning if they give fresh loan to such a borrower. **iv. Establishment of six New DRTs:** Government has established six new Debt Recovery Tribunals (DRT) (at Chandigarh, Bengaluru, Ernakulum, Dehradun,		

Sl. No.	Recommen-dation No.	Recommendation	Action taken by Government	Whether Accepted or not by Government	Remarks *(if any)*
1	2	3	4	5	6
			Hyderabad, Siliguri) to speed up the recovery of bad loans of the banking sector. v. The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 was enacted by the Government of India on 28th May, 2016. **Empowerment:** The Banks are encouraged to take their decision independently keeping the commercial interest of the organization in mind and have been asked to build robust Grievances Redressal Mechanism for customers as well as staff to ensure accountability. **Framework of Accountability:** The Government has formulated Key Performance Indicators (KPI) for Public Sector Banks in August, 2015 to be eligible for cash incentives. These are basically related to operational and capital efficiency and include of capital use, diversification of business processes and NPA management etc. The performance Evaluation Matrix under KPI contain the Quantitative parameters and Qualitative parameters for evaluation.		

Sl. No.	Recommen-dation No.	Recommendation	Action taken by Government	Whether Accepted or not by Government	Remarks *(if any)*
1	2	3	4	5	6
			To take the issue of efficiency further in the year 2016-17 a capital of ₹22,915 crore was allocated to 13 PSBs out of which 75% (50% for IOB) i.e. ₹16,414 crore was infused upfront and the remaining 25% was to be infused based on the performance of the banks on certain benchmarks. ₹8586 crore was allocated to 10 banks and ₹541 crore to Union Bank of India based on Memorandum of Understanding MOU signifying transformation process for banks. **Affordable credit MCLR:** RBI has deregulated the interest rate on advances sanctioned by Scheduled Commercial Banks (excluding Regional Rural Banks) and the same are now determined by banks with the approval of their Board of Directors subject to regulatory guidelines on interest rate on advances issued by RBI from time to time. In order to improve transparency in the methodology followed by banks for determining interest rates on advances apart from helping improve transmission of policy rates, with effect from April 1, 2016 banks have to compute interest rates on advances based on the marginal cost of funds for which the Marginal Cost of Funds based Lending Rate (MCLR) will be the internal benchmark.		

Sl. No.	Recommen-dation No.	Recommendation	Action taken by Government	Whether Accepted or not by Government	Remarks *(if any)*
1	2	3	4	5	6
			Interest Subvention Schemes: The 'Interest Equalization Scheme on 'Pre and Post Shipment Rupee Export Credit' has been formulated by Ministry of Commerce and Industry, Government of India. RBI has framed operational procedure to be followed by banks for claiming reimbursement from Government of India under the scheme. **Demonetization & Current Account, Saving Account (CASA) growth effect on credit growth** The increase in CASA deposits and growth in gross advances for Public Sector Banks (PSBs) and at the system level are tabulated below:		

Bank Grp.	Growth in CASA Deposits (%)					Growth in Gross Advances (%)				
	FY16	H1FY17	Oct-16	Nov-16	Dec-16	FY16	H1FY17	Oct-16	Nov-16	Dec-16
PSBs	9.20	1.94	-2.24	19.90	3.17	3.71	-1.88	-1.85	-2.78	3.88
All SCBs	11.83	2.61	-2.87	18.10	3.30	8.11	0.13	-1.39	-2.50	3.41

(For global operations)

- It is observed that the CASA deposits increased significantly during Nov-16, and the growth was much higher than H1FY17 or even FY16. However, the Gross Advances for PSBs and the banking system had declined during Oct-16 and Nov-16.
- While significant growth in deposits may be attributed to

Sl. No.	Recommen-dation No.	Recommendation	Action taken by Government	Whether Accepted or not by Government	Remarks *(if any)*
1	2	3	4	5	6

demonetization drive, decline in credit may be due to rebalancing of portfolio to manage risk.

<u>CD ratio - dependence on supply/demand</u>

A snapshot of Credit-Deposit (CD) Ratio trends observed by Public Sector Banks and All SCBs in general is provided as under.

Bank Group (Amt in ₹crore)	Gross Loans and Advances (GLA)			Total Deposits (TD)			CD Ratio (GLA as % of TD)		
	Mar-16	Sep-16	Dec-16	Mar-16	Sep-16	Dec-16	Mar -16	Sep- 16	Dec- 16
PSBs	58,23,907	57,14,271	56,64,443	74,86,178	76,48,013	81,48,249	77.80	74.72	69.52
All SCBs	81,73,121	81,83,658	81,36,919	1,00,92,651	1,04,85,392	1,10,21,063	80.98	78.05	73.83

(For global operations)

Besides capital infusion to Public Sector Banks (PSBs) and upsurge in deposits post-demonetisation, Reserve Bank of India (RBI) has issued guidelines/instructions to all banks including PSBs from time to time to facilitate flow of credit to micro, small and medium enterprises (MSMEs). These measures are expected to enhance flow of credit to various sectors of the economy including states in Eastern and North Eastern region.

As regards CD Ratio, the RBI has advised the banks including PSBs to achieve a CD Ratio of 60% in respect of their rural and semi-urban branches separately on an all India basis. The banks are also to ensure that wide disparity in the ratios between different State/Region is avoided in order to minimize regional

Sl. No.	Recommen-dation No.	Recommendation	Action taken by Government	Whether Accepted or not by Government	Remarks *(if any)*
1	2	3	4	5	6
			imbalance in credit deployment. RBI has also advised banks that the CD ratios should be monitored at different levels viz banks' head office level, State Level Bankers Committee (SLBC) and District Consultative Committee (DCC). Special Sub-Committee (SSC) of DCC is to be set up in the districts having CD ratio less than 40, in order to monitor the CD ratio and to draw up Monitorable Action Plans (MAPs) to increase the CD ratio. The Districts with CD ratio less than 20 are treated on a special footing.		
8.	08	The Committee note the statement made in the Budget Speech 2017-18 stating that promotion of digital economy will help "clean the system and weed out corruption and black money. It has a transformative impact in terms of greater formalisation of the economy and mainstreaming of financial savings into the banking system. A shift to digital payments has huge benefits for the common man". The Committee also note that the Government have launched various initiatives and apps such as JAM trinity (Jan Dhan- Aadhaar- Mobile) BHIM (Bharat Interface for Money App) etc to push towards digitalisation of economy. However, the Committee desire that the	**(Department of Financial Services)** A number of steps have been taken to address the concerns flagged by the Standing Committee. These include the following: (i) To address the issue of cyber security, Reserve Bank of India (RBI) has issued cyber security framework to all banks. In addition, RBI has also issued instructions to all authorised entities and banks issuing pre-paid instruments regarding cyber security. (ii) A Working Group has been set up to study the establishment of a Computer Emergency Response Team for the Financial Sector (CERT-Fin), which will work in close coordination with all financial sector regulators and other stakeholders. (iii) National Payments Corporation of India (NPCI) has launched Unified Payment Interface (UPI) to enable customers to transfer funds securely using virtual payment address, or bank account number and Indian Financial System Code (IFSC), or	Accepted	As per Government of India Gazette notification dated 13.2.2017, the subjects 'digital transaction / digital payments' have been allocated to Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY).

Sl. No.	Recommen-dation No.	Recommendation	Action taken by Government	Whether Accepted or not by Government	Remarks *(if any)*
1	2	3	4	5	6
		Government must also take serious cognizance of the rising cyber crimes in the country, so that these crimes are nipped in the bud and the process of digitalisation is not stymied on this count. They are also apprehensive that with growing digitisation, these cyber crimes may further increase. In this regard, the government should also adequately incentivise and smoothen the processes of transactions through the digital mode by making them attractive to the common man by way of fiscal concessions, low-cost high speed internet connectivity etc. Digital payment systems cannot grow without a robust and stable digital infrastructure, high speed and stable data connectivity to the last mile, and finally data security. Further, for better adoption of electronic payments, digital transactions should not be more expensive than cash. Therefore, the focus will have to shift to reducing transaction costs through technological innovations, greater volumes and sharing of savings generated from dealing with less cash. Thus, moving to a largely cashless or less-cash economy from	mobile number, or Mobile Money Identifier, or quick response (QR) code, or Aadhaar number. (iv) NPCI has introduced Unstructured Supplementary Service Data (USSD) for "*99#" service for mobile banking. It is an interoperable payment platform which provides basic banking services to accountholders in 12 different languages across the country. USSD works on both smart phones and feature phones, without Internet connectivity. (v) NPCI has launched BHIM Aadhaar, a mobile application for Aadhaar-based payments through merchants. It allows the customer to make purchases using their Aadhaar number linked with their bank account. The transaction requires only the customer's fingerprint for authentication. (vi) Government has launched two new schemes, Referral Bonus Scheme for individuals and a Cash-back Scheme for merchants, to promote the usage of BHIM app. (vii) Bank Mitras have been deployed in rural areas for providing interoperable banking services. (viii) Banks are committed to open bank accounts, seed Aadhaar and mobile numbers in bank accounts, based on customer consent, promote the use of RuPay cards, and impart financial literacy. Through this, accountholders are enabled to access Aadhaar-enabled, mobile-based as well as card-based payment options. (ix) Banks have deployed 18.16 lakh additional card-accepting points of sale (PoS) since November 2016, substantially		

Sl. No.	Recommen-dation No.	Recommendation	Action taken by Government	Whether Accepted or not by Government	Remarks *(if any)*
1	2	3	4	5	6
		the abysmally low current level, cannot obviously be achieved overnight or hastened through a fiat. It would require a massive technological and attitudinal change and for this, improving financial literacy, especially among the rural population becomes the need of the hour. The Committee, therefore, believe that providing low-cost, broad-based and secured digital infrastructure, reducing the costs of transaction, and promoting financial literacy on a large scale should now become the focus areas for the government, as it seeks to achieve its laudable objectives	increasing their total number to 33.35 lakh. (x) National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) has extended support to banks from the Financial Inclusion Fund for deployment of Aadhaar-ready Point of Sale (PoS) terminals in villages in Tier 5 and Tier 6 centres. Support for 2.23 lakh PoS terminals has been sanctioned by NABARD. (xi) NABARD has extended support from the Financial Inclusion Fund to banks to convert Kisan Credit Cards (KCCs) to interoperable RuPay KCCs, to enable farmers to make digital transactions on PoS machines, micro ATMs and ATMs. (xii) Government introduced Lucky Grahak Yojana and Digi Dhan Vyapar Yojana for merchants to promote means of cashless transactions. (xiii) The Office of Controller General of Accounts has communicated to Departments/Ministries under the Central Government that the Merchant Discount Rate (MDR) charges on debit cards for payment to Government up to ₹ 1 lakh shall be absorbed by the Government. (xiv) Department of Public Enterprises has advised Central Public Sector Enterprises (CPSEs) to ensure that transaction fee, MDR charges associated with payment through digital means shall not be passed on to the consumers, and that all such expenses shall be borne by CPSEs. (xv) The Central Government announced a package of incentives and measures for promotion of digital and cashless economy in the country, which include the following: (a) Central Government's Petroleum PSUs shall give incentive by offering a discount at the rate of 0.75% of the sale price to consumers on purchase of petrol/diesel if payment is made through digital means. (b) Railways through its sub-urban railway network, shall		

Sl. No.	Recommen-dation No.	Recommendation	Action taken by Government	Whether Accepted or not by Government	Remarks *(if any)*
1	2	3	4	5	6
			provide incentive by way of discount up to 0.5% to customers for monthly or seasonal tickets from January 1, 2017, if payment is made through digital means. (c) Railway passengers buying online ticket shall be given free accidental insurance cover of up to ₹ 10 lakh. (d) Public sector insurance companies will provide incentive, by way of discount of credit, up to 10% of the premium in general insurance policies and 8% in new life policies of Life Insurance Corporation sold through the customer portals, in case payment is made through digital means. (xvi) To strengthen the grievance redressal mechanism in banks and to ensure that maximum numbers of complaints are resolved at the bank's level, RBI advised public sector banks and select private and foreign banks to appoint Internal Ombudsman (IO). The IO examines grievances not resolved by the bank's internal grievance redressal mechanism. (xvii) RBI has issued policy guidelines on the issue and operation of Prepaid Payment Instruments (PPIs), like e-wallets, in India. Under these, in case of PPI issued by banks, customers have recourse to the Banking Ombudsman Scheme for grievance redressal, and the non-bank PPI issuers are required to put in place an effective mechanism for redressal of customer complaints and publicise the same. (xviii) To address connectivity issues, as on 1.7.2017, 21,269 Gram Panchayats have been integrated and tested on BharatNet. (xix) Banks have adopted several strategies to impart financial literacy as a part of their responsibility by organizing financial literacy counters in various camps organized from time to time to impart basic awareness of financial products and services. They have imparted financial literacy through meeting in panchayats, Gram Sabhas to cater to the rural and semi-urban		

Sl. No.	Recommen-dation No.	Recommendation	Action taken by Government	Whether Accepted or not by Government	Remarks *(if any)*
1	2	3	4	5	6
			population. They have also imparted financial literacy through Financial Literacy Centres. (xx) Till August 2016, financial literacy was imparted to 7.07 lakh students in 9,197 skilling centres. 34,012 schools were also covered for financial literacy, and 31.17 lakh students participated. Financial literacy materials have been converted in 10 regional languages and are available on website. **(Department of Economic Affairs)** Digitization of transactions is an imperative for India; it will benefit the economically disadvantaged, the middle class, the businesses and the government. Digitization will create a multiplier benefit in efficiency of capital use through greater transparency, traceability of transactions, enforceability of law and significantly buoyed tax revenues for social welfare. In addition to accelerating financial inclusion, opening up new business models and markets, digital payments will improve the State's ability to curb tax leakages and reduce cash related costs. The Government has in the Union Budget for 2017-18 taken several initiatives to promote a digital payment ecosystem. The key budget announcements relating to digital payments are listed at Annexure-II. The Government has announced the setting up of a Mission with a target of 2,500 crore digital payment transactions during the Financial Year through Unified Payment Interface (UPI), Unstructured Supplementary Service Data (USSD), Aadhaar Pay, Immediate Payment Service (IMPS) and debit cards. **Promotion of Payments through Cards and Digital means: -** The Finance Minister in his 2015-16 Budget speech had announced "To introduce several measures that will incentivise credit or debit card transactions and disincentivize cash transactions".	Accepted	

Sl. No.	Recommen-dation No.	Recommendation	Action taken by Government	Whether Accepted or not by Government	Remarks *(if any)*
1	2	3	4	5	6
			In February, 2016, the Cabinet approved 19 short terms measures (to be implemented within a year) and 4 medium terms measures (to be implemented within two years). Accordingly, Cabinet Secretariat had formed a task force under the chairmanship of Secretary DIPAM for implementation of the Cabinet decision on Promotion of Payments through Cards and Digital means. The task force had submitted its final reports on 19 short term measures in May, 2016 in which the policy prescriptions and the indicative time lines had been outlined along with responsibility of the different Departments. DEA had constituted a committee under the chairmanship of former Finance Secretary and Principal Advisor NITI Aayog Shri R. P. Watal to suggest the medium terms measures to strengthen the Digital Payments Eco-System. Committee had submitted 13 recommendations, categorised into three groups viz. legislative, executive & regulatory in December, 2016. The activities are under implementation by the different Ministries/Departments/ Institutions. NITI Aayog had constituted a Committee of Chief Ministers on digital payments on 30th November 2016, with Sh. Chandra Babu Naidu, Hon'ble Chief Minister of Andhra Pradesh as the Convener, which submitted its interim report to the Hon'ble Prime Minister on 24th January 2017. The Committee has, inter-alia, recommended various incentives for consumers and merchants in the form of cash back on digital spends, discounts on government payments via digital means, incentives to banking correspondents (BCs) and small merchants for digital transactions. As a follow-up to this recommendation NITI Aayog has prepared a booklet titled 'Measurement of Digital Payments, trends, issues		

Sl. No.	Recommen-dation No.	Recommendation	Action taken by Government	Whether Accepted or not by Government	Remarks *(if any)*
1	2	3	4	5	6
			and challenges '. This booklet is an interim report on the trends in Digital Payments, proposed classification and indicators. It provides valuable information on the list of authorized service providers and prevailing challenges in the Digital Payments Ecosystem of the Country. **Review of the PSS Act, 2007:-** The Finance Minister in his 2017 Budget speech had announced that "The Government will undertake a comprehensive review of the Payment and Settlement System (PSS) Act, 2007 and bring about appropriate amendment". Accordingly a Group of Officers, from DFS, DoLA, DEA, Meity, RBI & DEA, was constituted to review the Payment and Settlement Systems Act, 2007 for suggesting the appropriate amendments. The Group of Officers has had five meetings so far and final report is expected shortly. **Digital Finance for Rural India: Creating Awareness and Access** A new component titled 'Digital Finance for Rural India: Creating Awareness and Access through Common Service Centres' (CSCs) under the Digital Saksharta Abhiyan (DISHA) Scheme was approved in November 2016 for conducting awareness sessions on digital finance options available for rural citizens as well as enabling various mechanisms of digital financial services such as Aadhaar Enabled Payment System (AEPS), Unstructured Supplementary Service Data (USSD), Unified Payments		

Sl. No.	Recommen-dation No.	Recommendation	Action taken by Government	Whether Accepted or not by Government	Remarks *(if any)*
1	2	3	4	5	6
			Interface (UPI), Immediate Payment Service (IMPS), e-wallets, Point of Sale (PoS), etc. Under this programme, 1 crore rural citizens across the country and 2.5 lakh merchants were to be enabled to transact through electronic payment systems. This was implemented by CSC e-Governance Services India Limited. • Under the programme, a total of 2 Crore rural citizens were registered and trained on Electronic Payment Systems • Over 25 Lakh shopkeepers/hawkers/traders etc were trained and enabled on the Electronic Payment System mode • Sensitization drives were organised in 650 Districts & 5735 Blocks. • A separate portal was created at http://www.digitaljagriti.in/ • Training content in the form of handbook and presentation was prepared. • An impact movie and 6 training video was also made available. **Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharta Abhiyan (PMGDISHA)** The Government has approved a scheme titled "Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharta Abhiyan (PMGDISHA)" to usher in digital literacy in rural India by covering 6 crore rural households (one person per household) by 31.03.2019. This is in line with the announcement made in the Union Budget 2016-17. To ensure equitable geographical reach, each of the 2,50,000 Gram Panchayats would be expected to register an average of 200-		

Sl. No.	Recommen-dation No.	Recommendation	Action taken by Government	Whether Accepted or not by Government	Remarks *(if any)*
1	2	3	4	5	6
			300 candidates. Special focus of the above Scheme would be on training the beneficiaries on use of Electronic Payment Systems. The outcome measurement criteria would include undertaking at least 5 electronic payments transactions by each beneficiary using UPI (including BHIM App), USSD, PoS, AEPS, Cards, Internet Banking. The total outlay of the above Scheme is ₹ 2,351 crore. It will be implemented as a Central Sector Scheme by the MeitY through an implementing agency namely CSC e-Governance Services India Limited, with active collaboration of all the State Governments and UT Administrations. The Scheme has been approved on 20.02.2017 and detailed guidelines issued on 27.02.2017. The guidelines include the Composition and Terms of reference of two State Level Committees to be chaired by Principal Secretary, IT and District Magistrate respectively. MeitY has written to all the Chief Secretaries of the States and all the District Magistrates/ Collectors on 28.02.2017 and forwarded the Scheme guidelines. The Implementing Agency i.e. CSC e-Governance Services India Ltd., has conducted 31 state level workshops and 81 district level workshops. They have started the empanelment of the Training Partners/Centres for the PMGDISHA Scheme and so far affiliated 23,682 Training Centres. More than 11 lakh candidates have been enrolled, out of which training has been imparted to more than 9 lakh candidates.		

Sl. No.	Recommen-dation No.	Recommendation	Action taken by Government	Whether Accepted or not by Government	Remarks *(if any)*
1	2	3	4	5	6
			Cyber security initiatives: MeitY has set up a Digital Payments Division to focus on security of digital payments. Computer Emergency Response Team (CERT-In) regularly sends advisory to Reserve Bank of India, National Payment Corporation of India (NPCI) and Payment Card Industry organisations regarding the threats targeting banking and ATM Systems. In addition, CERT-In has issued 23 advisories including merchants of Payment Channels, Cards, Data, Device, Browser and Operating System & Network Security for security safeguards of users covering POS, Micro ATMs, Electronic Wallets, online banking, smart phones, Unified Payment Interface, wireless access points / routers, mobile banking, cards and cloud. All organizations providing digital payment services have been mandated to report cyber security incidents to CERT-In expeditiously. RBI vide circular dated 9.12.2016 on "Security and Risk Mitigation measure - Technical Audit of Prepaid Payment Instrument issuers" has instructed all authorised entities / banks issuing PPIs in the country to carry out a special audit by the empanelled auditors of CERT-In on a priority basis and take immediate steps thereafter to comply with the findings of the audit report. RBI also issued a circular earlier in June 2016 covering comprehensive guidelines on Cyber Security Framework in Banks. Two workshops have been conducted regarding security of digital payments for participants from banks, Internet Service		

Sl. No.	Recommen-dation No.	Recommendation	Action taken by Government	Whether Accepted or not by Government	Remarks *(if any)*
1	2	3	4	5	6
			Providers and entities offering Prepaid Payment Instruments. CERT-In has also recorded cyber security awareness sessions under the DigiShala Awareness Campaign, a free Doordarshan DTH channel, for educating citizens and creating awareness amongst internet users so that they do not fall prey to online frauds. Regular workshops with Institute for Development and Research in Banking Technology (IDRBT) for banks, RBI, Securities and Exchange Board of India (SEBI) are conducted on cyber security. CERT-In officials are deputed as trainer at IDRBT. Workshops have been held inviting PPIs, Banks, ISPs, RBI, NPCI and IDRBT along with banking technology providers and consultants to address security issues and their mitigation mechanisms. Botnet Cleaning and Malware Analysis Centre has been established by CERT-In for detection of compromised systems in India and to notify, enable cleaning and securing systems of end users to prevent further malware infections. The centre is also working with 37 Banks to detect malware infections in their networks and enable remedial actions. MeitY has formulated draft rules on Security of Prepaid Payment Instruments under Information Technology Act, 2000. The draft Rules have provision for grievance redressal mechanism for electronic Prepaid Payment Instruments. The draft Rules have been published on MeitY website inviting comments from public at large and all stakeholders. Regular consultations are held with key organizations & banks		

Sl. No.	Recommen-dation No.	Recommendation	Action taken by Government	Whether Accepted or not by Government	Remarks *(if any)*
1	2	3	4	5	6
			for setting up of Financial CERT. Meetings have already been held with key organizations & banks from finance sector to discuss the roles and responsibilities of finance sector organizations in monitoring, prevention and recovery from cyber security threats. Communication has been sent to all Central Government Ministries / Departments, States/UTs and critical sectors organizations to implement Cyber Crisis Management Plan (CCMP) prepared by MeitY for countering cyber-attacks and cyber terrorism. Cyber security exercises are being conducted by CERT-In for assessment of cyber security posture and preparedness of organizations in Government and critical sectors including financial sectors.		
9.	09	The Committee would like to refer to their 29th Report on the Demands for Grants (2016-17) of the Ministry of Finance (Departments of Economic Affairs, Expenditure, Financial Services and Investment & Public Asset Management), wherein they have observed that the "rationale of a cess is that the money it generates can only be used for the designated purpose, which makes it an effective policy tool in theory. However, if	The following cesses will continue to be levied under the GST w.e.f 1st July, 2017: a) Education Cess on Imported Goods b) Secondary and Higher Education Cess on Imported Goods c) Cess on Crude Petroleum Oil d) Additional Duty of Excise on Motor Spirit (Road Cess) e) Additional Duty of Excise on High Speed Diesel Oil (Road Cess) f) Special Additional Duty of Excise on Motor Spirit g) NCCD on Tobacco and Tobacco Products and Crude Petroleum Oil	Accepted	

Sl. No.	Recommen-dation No.	Recommendation	Action taken by Government	Whether Accepted or not by Government	Remarks *(if any)*
1	2	3	4	5	6
		the money is not spent for the designated purpose or is diverted, it simply stagnates and distorts the economy further, as the additional tax brings down real income without any accompanying gain in socio-economic indicators as targeted". In the light of this observation, the Committee desire that the Government must observe strict financial prudence and discipline with regard to the designated utilisation of various cesses being levied. In any case, the Committee would expect these cesses to be subsumed in the proposed GST regime.	The cesses other than above have been abolished. The details are given in the notification of Ministry of Finance in PIB dated 07-June-2017.		
10.	10	The Committee are of the view that the figures of retail inflation being relied upon may be understated because services sector inflation may not be adequately captured. It is worth noting in this regard that the RBI shifted focus from wholesale prices to consumer prices for determining its monetary policy not merely because it would reflect the ground situation, but also because the wholesale price index did not include services in its basket. However,	There is an Expert committee on Development of Business Service Price Index in DIPP under the chairmanship of Prof. C.P. Chandrasekhar. The work of development of experimental Business Service Price Indices has been taken up by the Office of Economic Adviser, DIPP, Ministry of Commerce and Industry. Ten sectors namely, i) Banking, ii) Trade, iii) Business Services, iv) Postal, v) Telecommunication, vi) Air Transport, vii) Port Services, viii) Insurance, ix) Rail Transport and x) Road Transport have been identified for the initial phase of development of Experimental Business Service Price Indices.	So far, Experimental Service Price Indices for five sectors viz., Rail Transport, Banking, Postal Services, Telecom (Cellular) and Air Transport have been developed. The Indices for these sectors along with their methodologies	

Sl. No.	Recommen-dation No.	Recommendation	Action taken by Government	Whether Accepted or not by Government	Remarks *(if any)*
1	2	3	4	5	6
		even in the Consumer Price Index (CPI), the rising cost of education, healthcare, transportation, among others, are not fully reflected. The Committee believe that items of expenditure like medical and education, largely owing to their privatised nature and the widening supply-demand gap, may be rising disproportionately higher than what could be captured in the CPI. Accurate data on services inflation is thus crucial for understanding relative price movements, particularly since the services sector accounts for over half the GDP. Sectoral regulators also need better data on prices, production and quality of services to act in the consumer's interest. The Committee would therefore recommend a separate and distinct index namely, Business Service Price Index, which will accurately factor in and reflect the rising costs of different services in the economy, enabling the government to tailor their policy responses accordingly.		are available in the public domain on the website of the Office of Economic Adviser (OEA) for comments. These Indices are also being updated from time to time.	

Sl. No.	Recommen-dation No.	Recommendation	Action taken by Government	Whether Accepted or not by Government	Remarks *(if any)*
1	2	3	4	5	6
11.	11	In 2015-16 Budget Speech, it was announced that AIIMS-like institutions are to be set up in J&K, Punjab, Tamil Nadu, Himachal Pradesh and Assam. The Committee would expect the Government to implement these announcements with tangible development and progress at the ground level. Similarly, the announcement made with regard to setting up of AIIMS-like institutions in the states of Gujarat and Jharkhand as announced in the Budget 2017-18 should also be acted upon and the project implemented within a given time frame. Similarly, with regard to the setting up of the proposed five ultra-mega power projects (UMPPs), the budget announcements (2015-16), have not been followed through. The Committee would like to be kept apprised of the concrete progress made towards this end.	**(i) Action taken on Establishment of AIIMS announced in Budget Speech 2015-16 as on date** **AIIMS in J&K** Hon'ble Prime Minister had announced development package for Jammu & Kashmir on 7th November, 2015 which includes creation of AIIMS (2 AIIMS) like institutions for health care in capital cities of J&K. The sites at Vijaypur in Samba district in Jammu region and at Awantipora, Pulwama in the Kashmir region have been finalized for the establishment of AIIMS in Jammu division & Kashmir division of J&K. CPWD has been appointed as the agency for the Construction work of these new AIIMS in the State. Draft EFC note for the two AIIMS circulated on 27.10.2016. Comments received from DoE & NITI Aayog, Govt. of J&K has been requested for waiver of 12.6% J&K works tax in term of advice given by DoE. **AIIMS in Punjab** The Cabinet has approved the proposal for the establishment of New AIIMS at Bathinda in Punjab on 27.07.2016. The Location for the new AIIMS is at Village Jodhpur Romana (180 acres). Pre-investment activities of soil investigation and Topographical survey has been completed. Work of construction of Boundary wall under progress. Memorandum of Understanding has been signed with Govt. of Punjab. Executing Agency for the main	Accepted	

Sl. No.	Recommen-dation No.	Recommendation	Action taken by Government	Whether Accepted or not by Government	Remarks *(if any)*
1	2	3	4	5	6
			work has also been appointed. RFP for Design Consultant has been floated. Pre-bid meeting has been held. **AIIMS in Tamil Nadu** Govt. of Tamil Nadu had identified locations at (i) Chengalpattu in Kancheepuram District (ii) Pudukkottai town in Pudukkottai District (iii) Sengipatti in Thanjavur District (iv) Perundurai in Erode District, and (v) Thoppur in Madurai District for setting up of new AIIMS in Tamil Nadu. A Central Team has inspected the sites, offered by Government of Tamil Nadu. State Government has been requested to assess and identify three to four locations keeping in view the criteria under challenge method. A reply dated 12.07.2017 has been received. Based on the inputs of the State Government, a final decision on site is to be taken. **AIIMS in Himachal Pradesh** Government of Himachal Pradesh has furnished details in the prescribed check List. A Central Team has also visited the sites, offered by the H.P. Govt for inspection. The report is under consideration. **AIIMS in Assam** Site at Village Jalah, Mouza Sila Sinduri Ghopa in Kamrup District has been finalized for establishment of AIIMS in Assam. Pre-investment activities are in progress.		

Sl. No.	Recommen-dation No.	Recommendation	Action taken by Government	Whether Accepted or not by Government	Remarks *(if any)*
1	2	3	4	5	6
			AIIMS in Bihar For setting up one more AIIMS like institution in Bihar, the Chief Minister, Bihar was requested to identification of land. The reminders have been issued on 10.12.2015, 06.05.2016, 08.12.2016 & 12.04.2017. Response of state government is awaited. State Government yet to identify there to four locations keeping in view the criteria under challenge method. **(ii) Action taken on Establishment of AIIMS announced in Budget Speech 2017-18 as on date** **AIIMS in Jharkhand** Site at Deoghar, offered by the Govt. of Jharkhand, has been finalized for establishment of an AIIMS in Jharkhand, subject of fulfilment of certain conditions. Commitment from State Govt. has been obtained. Pre-investment activities are in progress. DPR has been submitted. Draft EFC note is under consideration. **AIIMS in Gujarat** State Government has been asked to identify and offer three to four suitable alternative sites so that Central team could be deputed to inspect the sites. A reply dated 19.07.2017 has been received which is under examination in the Ministry. **(iii) Action Taken on Establishment of Ultra Mega Power Projects (UMPPs) announced in Budget Speech 2015-16:-** The updated status of UMPPs to be implemented in plug-and-play mode. The updated status is as follows:- The Ministry of Power had tentatively identified following five	Partially Accepted	

Sl. No.	Recommen-dation No.	Recommendation	Action taken by Government	Whether Accepted or not by Government	Remarks *(if any)*
1	2	3	4	5	6
			UMPPs for bidding: i) Cheyyur UMPP, Tamil Nadu. ii) Bedabahal UMPP, Odisha. iii) Bihar UMPP. iv) Deoghar UMPP, Jharkhand. v) Chhattisgarh UMPP. Later, Chhattisgarh Government vide letter dated 05.04.2016 informed that the Govt. of Chhattisgarh is not keen on setting up 4000 MW Chhattisgarh UMPP as they shall be having balance between demand and supply of power till 2022-23. Subsequently, Chhattisgarh UMPP has been closed. Bihar UMPP has issues of firm allocation of suitable coal block to infra SPV (Special Purpose vehicle) and land acquisition through LAAR Act 2014 & these are under progress and it may take some more time. Sufficient water availability could not be ensured by State Government for Deoghar UMPP. Further, allocation of suitable coal block to infra SPV (Special Purpose vehicle) and land acquisition is pending & these issues are under process of resolution. Presently, the Ministry of Power is focussing upon two UMPPs and tentatively identified following UMPPs to bid out in plug-and-play mode:		

Sl. No.	Recommen-dation No.	Recommendation	Action taken by Government	Whether Accepted or not by Government	Remarks *(if any)*
1	2	3	4	5	6
			i) Cheyyur UMPP, Tamil Nadu. ii) Bedabahal UMPP, Odisha. 2. Bid process for Bedabahal UMPP would be initiated after finalisation of Standard Bidding Documents (SBDs) and firm allocation of coal blocks by Ministry of Coal. Cheyyur UMPP was originally envisaged to be setup on imported coal. However, recently Ministry of Power is examining the possibility of setting up Cheyyur UMPP on domestic coal instead of imported coal.		
12.	12	As regards the government policy on disinvestment, the Committee are of the view that instead of merely setting out numerical targets for disinvestment, the focus should be on policy objectives of this exercise as a key reform, like diluting government's stakes in select, identified non-strategic sectors, true operational autonomy for the disinvested PSUs, public listing of large undertakings in the financial sector subjecting them to greater public scrutiny and, utilisation of disinvestment proceeds for possible revival of ailing public undertakings, wherever deemed feasible. Further, the Committee believe that the purpose of disinvestment is defeated when it remains a transaction	**A. Salient Features of Current Disinvestment Policy** Disinvestment in Central Public Sector Enterprises (CPSEs) is undertaken as per the extant disinvestment policy of the Government on 'minority stake sale' and 'strategic disinvestment'. The salient features of the current disinvestment policy are as follows: (i) Disinvestment through minority stake sale in listed Central Public Sector Enterprises (CPSEs) ♦ Government to retain majority shareholding (51%) & management control; ♦ to achieve 25 % public shareholding as per listing norms; ♦ to raise resources for the Government. (ii) Listing of profitable CPSEs ♦ to unlock the value of the company through listing; ♦ promote people's ownership and accountability of the stakeholders;	Accepted	The extant disinvestment policy adequately covers the recommend-ations/ observations of the Standing Committee.

Sl. No.	Recommen-dation No.	Recommendation	Action taken by Government	Whether Accepted or not by Government	Remarks *(if any)*
1	2	3	4	5	6
		between two or more PSUs only instead of contributing to Consolidated Fund of India as a non-tax revenue. Thus it is time, disinvestment is properly defined so that the process does not remain a mere statistical book-adjustment among some PSUs. The Committee desire that disinvestment should thus become more credible and purposeful with transparency and its utilisation should be monitored. The Committee desire that a concrete road map in this direction may accordingly be prepared and acted upon under intimation to the Committee.	(iii) Strategic disinvestment - sale of share upto 50 % or more with transfer of management control. ♦ government to exit from non-strategic business; ♦ promote efficiency and professional management of the company; ♦ to unlock optimum economic potential of business enterprises. **B. Listing of CPSEs** (i) As per the extant disinvestment policy, (CPSEs) having a positive net-worth, no accumulated losses and having earned net-profits in three preceding consecutive years are considered for listing on the stock exchange following SEBI's rules/regulations. (ii) As announced in Budget 2017-18, the Government has put in place a mechanism/procedure alongwith indicative timelines for listing of CPSEs on 17.02.2017. The Administrative Ministries/Departments have been requested to follow the suggested timelines and to complete time-bound listing of identified CPSEs, as per the extant Act, Rules and Regulations. (iii) An important objective of listing of CPSEs is to unlock the true value of the company and promote 'people's ownership' by encouraging public participant in CPSEs. With general public becoming the shareholder in the company through the listing route, the management is open to public scrutiny and thus become		

Sl. No.	Recommen-dation No.	Recommendation	Action taken by Government	Whether Accepted or not by Government	Remarks *(if any)*
1	2	3	4	5	6
			accountable to its shareholders, as per the extant disclosure norms and compliance for the listed CPSEs. (iv) Listing of profitable CPSEs on the stock exchanges also triggers multilayered oversight mechanism, which not only enhances shareholders' value but also promotes corporate governance norms in such companies. As per the listing requirements of SEBI/ Company Law/Stock Exchanges, CPSEs are required to comply with a number of mandatory disclosure requirements. **C. Promoting Transparency:** (i) The Government adopts any of the permissible methods of disinvestment as per the acts, rules and regulations applicable for divesting its shareholdings in CPSEs. The disinvestment process has evolved over time and is based on a decision making process through inter-ministerial consultation and due consultations with the market intermediaries/investor community. The transaction is performed as per Securities and Exchange Board of India (SEBI) regulations, using stock exchange platform. (ii) As per the policy and commitment of the Government, disinvestment of the minority stake sale in CPSEs is carried out without sticking to a strict timeline and the Government looks for right opportunity of disinvestment transactions and moves ahead in a prudent manner.		

Sl. No.	Recommen-dation No.	Recommendation	Action taken by Government	Whether Accepted or not by Government	Remarks *(if any)*
1	2	3	4	5	6
			(iii) In respect of strategic disinvestment, the Government has constituted an Independent External Monitor (IEM) comprising the following eminent persons: (a) Hon'ble Justice R.C. Lahoti, Former Chief Justice of India (b) Shri V.K.Shunglu, Ex-Comptroller and Auditor General of India (CAG) (c) Shri P. Shankar, Ex-Central Vigilance Commissioner (CVC) (iv) The IEM will act as an Oversight Committee for strategic disinvestment with the following mandate: (a) To vet the process of valuation of the CPSE/Units; (b) To oversee the transaction process of strategic disinvestment of CPSE/Unit; (c) To examine and address the grievance received; and (d) Any other matter that is referred to IEM by the Government.		

अनुदान संख्या 22 - रक्षा पेंशन
GRANT No. 22 - DEFENCE PENSIONS

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत– Saving-
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
प्रभारित–	*Charged-*				
मूल	*Original*	*74,00*	*3,00,00*	*3,14,66*	*+14,66*
पूरक	*Supplementary*	*2,26,00*			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत–	**Voted-**				
मूल	Original	54499,26,00	60235,00,00	60234,45,68	-54,32
पूरक	Supplementary	5735,74,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के *प्रभारित* भाग में, यद्यपि दिसम्बर, 2015 में *₹226.00 लाख* का पूरक *विनियोग* प्राप्त किया गया था, व्यय स्वीकृत *विनियोग* से *₹14.66 लाख* अधिक हो गया (वास्तविक अधिक व्यय ₹14,65,728 था)। **इस अधिक व्यय को संसद द्वारा अनुदान की अधिक मांगों को स्वीकृत करवाकर विनियमित कराए जाने आवश्यकता है।**

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the grant, although supplementary *appropriation* of *₹226.00 lakhs* was obtained in December, 2015, the expenditure exceeded the sanctioned *appropriation* by *₹14.66 lakhs* (actual excess was ₹14,65,728). **The excess requires regularization by voting of Excess Demands for Grants by the Parliament.**

अधिक व्यय/बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुआ/हुईः–

Excess/savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2071" पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	Major Head "2071" Pensions and other Retirement Benefits				
मू.	*O.*	*74.00*	*300.00*	*314.66*	*+14.66*
पू.	*S.*	*226.00*			

अनुदान संख्या 34 - आर्थिक कार्य विभाग
GRANT No. 34 - DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving-
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	17774,88,00	17941,94,00	11756,85,76	-6185,08,24
पूरक	Supplementary	167,06,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				6100,29,53
पूंजीगत:	**Capital :**				
स्वीकृत–	Voted -				
मूल	Original	5601,69,00	78412,12,00	76967,43,82	-1444,68,18
पूरक	Supplementary	72810,43,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				553,50,12

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹618508.24 लाख) जुलाई, 2015, दिसंबर, 2015 और मार्च, 2016 में प्राप्त किए गए ₹16706.00 लाख की पूरक अनुदानों से अधिक हो गईं तथा यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 34 प्रतिशत थीं।

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹618508.24 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹16706.00 lakhs obtained in July, 2015, December, 2015 and March, 2016 and constituted 34 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:–

Savings/excess occurred under the following major heads :-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2052"	Major Head "2052"				
सचिवालय – सामान्य सेवाएं	Secretariat - General Services				
मू.	O.	16245.00	12646.35	11596.55	-1049.80
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	-3599.65			

Annexure-II

Key Announcements on Digital Payments in Union Budget 2017-18

1. Already there is evidence of increased digital transactions. The BHIM app has been launched. It will unleash the power of mobile phones for digital payments and financial inclusion. 125 lakh people have adopted the BHIM app so far. The Government will launch two new schemes to promote the usage of BHIM; these are, Referral Bonus Scheme for individuals and a Cashback Scheme for merchants.

2. Aadhar Pay, a merchant version of Aadhar Enabled Payment System, will be launched shortly. This will be specifically beneficial for those who do not have debit cards, mobile wallets and mobile phones.

3. A Mission will be set up with a target of 2,500 crore digital transactions for 2017-18 through UPI, USSD, Aadhar Pay, IMPS and debit cards.

4. Banks have targeted to introduce additional 10 lakh new PoS terminals by March 2017. They will be encouraged to introduce 20 lakh Aadhar based PoS by September 2017.

5. The digital payment infrastructure and grievance handling mechanisms shall be strengthened. The focus would be on rural and semi urban areas through Post Offices, Fair Price Shops and Banking Correspondents. Steps would be taken to promote and possibly mandate petrol pumps, fertilizer depots, municipalities, Block offices, road transport offices, universities, colleges, hospitals and other institutions to have facilities for digital payments, including BHIM App. A proposal to mandate all Government receipts through digital means, beyond a prescribed limit, is under consideration.

6. Increased digital transactions will enable small and micro enterprises to access formal credit. Government will encourage SIDBI to refinance credit institutions which provide unsecured loans, at reasonable interest rates, to borrowers based on their transaction history.

7. Government will consider and work with various stakeholders for early implementation of the interim recommendations of the Committee of Chief Ministers on digital transactions.